

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. VI, Second Session, 2019/1941 (Saka)
No.15, Friday, December 06, 2019 / Agrahayana 15, 1941 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 261 to 275	6-17
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 276 to 280	78-98
Unstarred Question Nos. 2991 to 3220	99-658

PAPERS LAID ON THE TABLE	659-667
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	667
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE 1 st to 3 rd Reports	667
STANDING COMMITTEE ON ENERGY 1 st and 2 nd Reports	668
STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL 3 rd to 5 th Reports	668
BUSINESS OF THE HOUSE	669-671
MOTION RE: ELEVENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	671
SUBMISSION BY MEMBERS Re: Brutal atrocities against women folk across the country.	672-680
<u>ANNEXURE – I</u>	
Member-wise Index to Starred Questions	692
Member-wise Index to Unstarred Questions	693-696
<u>ANNEXURE – II</u>	
Ministry-wise Index to Starred Questions	697
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	698

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 06, 2019 / Agrahayana 15, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 261.

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I have given notice of Adjournment Motion.

माननीय अध्यक्ष : सुरेश जी, पिछली बार हमने व्यवस्था दी थी। फिर दोबारा व्यवस्था सुन लें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट। हमने कहा था कि प्रश्न काल के बाद जो भी विषय गम्भीर है, उस पर प्रश्न काल के बाद मौका देने का प्रयास किया जाएगा।

11.01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष :क्वेश्चन नंबर 261 – श्री जय प्रकाश – उपस्थित नहीं ।

माननीय मंत्री जी ।

(Q.261)

**THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE;
MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF
HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAKASH
JAVADEKAR):**

(a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नंबर 262, श्री गौरव गोगोई – उपस्थित नहीं ।

माननीय मंत्री जी ।

(Q.262)

**THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE;
MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND MINISTER OF
HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAKASH
JAVADEKAR):**

(a) to (e) : A statement is laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नम्बर 263 – श्री अजय टम्टा ।

(Q. 263)

श्री अजय टम्टा : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र का सीमांत जनपद पिथौरागढ़ नेपाल की सीमा से सटा है और सामारिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण स्थान है। महोदय, नेपाली एफएम के माध्यम से हमारे पिथौरागढ़ जनपद में लगभग 70 परसेंट कार्यक्रम हिन्दी और कुमाऊंनी में प्रसारित होते हैं। पिथौरागढ़ में एफएम ट्रांसमीटर लगाने के लिए विभाग के पास भूमि भी उपलब्ध है और साइट की लोकेशन यूनीक होने के कारण से पाँच किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर लगना है। स्मृति ईरानी जी, पूर्व माननीय मंत्री पिथौरागढ़ जनपद में आई थीं। उन्होंने वहां पर कार्यक्रम करके और विभाग के सारे अधिकारियों के साथ रहकर 23 फरवरी, 2018 को पाँच किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर की जानकारी ली थी। माननीय अध्यक्ष जी, अधिकारियों की सहमति के बाद भी दो वर्ष पूरे हो गए हैं, मगर अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिथौरागढ़ में पाँच किलोवाट का टावर लगाने के लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं। विभाग की सहमति और विभाग के लोग थे, पूर्व माननीय मंत्री जी गई थीं। मेरा कहना है कि अगर इसको हम करेंगे तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। कुमाऊं के पूरे क्षेत्र में अगर यह पाँच किलोवाट का ट्रांसमीटर लग जाएगा तो एफएम की सुविधा लोगों तक पहुंच पाएगी। क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अजय टम्टा जी ने अच्छा सवाल पूछा और इसका ब्रीफ लेते समय मुझे यह पता चला कि वहां कार्यक्रम हुआ था। पूर्व मंत्री ने वहां आश्वासन दिया था। कल मैंने रिव्यू भी लिया है और आपकी मांग पूरी होगी। आज मैं इतना ही कह सकता हूँ।

श्री अजय टम्टा : माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 24 नवम्बर, 2019 को 'मन की बात' कार्यक्रम के दौरान उत्तराखण्ड के धारचूला में रंग समुदाय द्वारा अपनी बोली-भाषा को बचाने के प्रयास की सराहना की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से कुमाऊंनी, गढ़वाली, जौनसारी, सौका, रंग, तोल्छा, माल्छा, थारू, बोक्सा, वनराजि आदि स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु क्या

प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इन भाषाओं में स्थानीय जनता को जोड़ा जा सके तथा इनका संरक्षण हो सके?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भारत की सभी भाषाओं का प्रचलन बढ़े और विकास हो। उसके लिए सभी आकाशवाणी केन्द्रों पर उस राज्य में जो अलग-अलग बोली-भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें भी कार्यक्रम करने के लिए बढ़ावा देते हैं। स्पेसिफिक दो भाषाओं का नाम मैंने पहली दफा सुना है तो उसके बारे में आप पत्र दीजिए। हम उसमें भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं आश्चस्त करना चाहता हूँ कि radio is a very important tool of communication, भाषा जीवंत रखने के लिए और उसका प्रचलन बढ़ाने के लिए यह कारगर साबित होता है।

(Q. 264)

SHRIMATI SAJDA AHMED : Hon. Speaker, Sir, there is an alarming increase in the rate of death and disability due to the environmental toxicity. Day by day, diseases such as cancer, liver problems and kidney failure are increasing. Even those who do not smoke are diagnosed with diseases related to lungs. Certainly, this is due to the unknown agents of toxic chemicals and biological agents from the environment which are included in their food, air and even water. About 92 per cent early deaths are due to the environmental toxicity. The country does not have enough infrastructure for detecting the ailments which are due to the eco-toxicity. Recently, only in AIIMS, Delhi a centre has been set up. May I ask the hon. Minister, keeping in mind the alarming situation of environmental pollution, whether the Government proposes to set up at least one centre of this kind in every States within a year and till then permit every State Medical College to send the samples to AIIMS, Delhi to find the eco-toxicity among the patients.

DR. HARSH VARDHAN : Hon. Speaker, Sir, I think I have in detail elaborated in the answer to the question about the latest clinical eco-toxicology diagnostic and research facility which has been set up at AIIMS. Simultaneously, toxicity is not only at one place. For toxins, there are so many areas, whether it is through water, environment or other sources. A lot of other agencies are also involved. The Central Pollution Control Board is doing it at over 4,000 places in the case of water toxicity. The All India Institute of Hygiene and Public Health

and National Institute of Occupational Health are also doing it. AIIMS is the latest addition to that. Those who get affected by toxins have similar symptoms as other patients. Sometimes, it is very difficult to differentiate between them. At the AIIMS Centre, we have now got patients from all those OPDs where they are not able to differentiate. The results have started emerging. As and when there is a need to further expand this, we will do that. The hon. Member must have seen in my answer that the Government is so much concerned about this whole issue that there is a very thorough, comprehensive, and all-inclusive approach in which the Department of Environment has done so much, all the arms of the Ministry of Health have done so much, and everybody including the Ministry of Science and Technology is on board to handle this issue. Simultaneously, through 20 institutions and 20 big hospitals all over the country, we have initiated a big research, in which Department of Environment is also involved, to assess the impact of these pollutants on human health. There is no Indian data which is available right now. So, we have already started that work also. The hon. Member should not feel worried about it. She has asked if there is a plan. Right now, there is none, but if there is a need, we will think about it. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से पूछा था, लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे पूरा जवाब मिल गया है।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदय, विषैले तत्वों के मिलने से कुओं, तालाबों और नदियों के जल में भारी मात्रा में इनका असर होता है। इनका पानी पीने वाले लोगों में कैंसर के रोगी पूरे देश में सबसे

ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सरकार क्या उपाय कर रही है?

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदय, जैसा मेरे उत्तर में भी लिखा है कि सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देश में लगभग 4 हजार से ज्यादा स्थानों पर स्पेसिफिकली वाटर टेस्टिंग आदि करता है। जिसमें वह physicochemical, bacteriological, heavy metals, pesticides आदि सभी चीजों की कान्सन्ट्रेशन टेस्ट करता है। जहाँ तक कैंसर रोग होने का सवाल है, कैंसर रोग के बहुत सारे कारण हैं, उसमें स्पष्ट रूप से जो भी किसी भी प्रकार के विषैले तत्व हैं, चाहे वे कहीं से भी आ रहे हैं, कैंसर के बारे में अलग-अलग तरह की, अलग-अलग स्तर पर रिसर्च हो रही है। कोई कैंसर के कॉज के अंदर कोई चीज है, किसी के अंदर कोई जेनेटिक्स हैं, किसी के अंदर एनवायरनमेंटल एक्सपोजर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो भी विषैले तत्व हैं, वह कहीं से भी आ रहे हैं, वे शरीर के लिए हानिकारक हैं। जितने भी एलीमेंट्स हैं, हैवी एलीमेंट्स हैं, अन्य दूसरी चीजें हैं, अगर किसी भी रूप में उनका एक स्पेसिफिक मात्रा से ज्यादा इंजैशन हो रहा है, तो वह नुकसानदायक है। इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ विज्ञान, स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट्स को मिलकर लड़ना है, उसी तरह से हमें समाज के अंदर जागरूकता फैलाकर इस लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़नी है।

(Q. 265)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप अपनी सीट पर जाइए। माननीय मंत्री जी, जब प्रश्नकाल चल रहा हो तब बातचीत न किया करें।

SHRI G. S. BASAVARAJ : Speaker, Sir, the Minister has not given proper answer to my Question. RO plants are installed everywhere in the country as nowadays everybody wants to drink RO purified water only. Unfortunately, the Reverse Osmosis, that is RO, has some disadvantages and advantages too. The reverse osmosis purification removes toxins such as lead, mercury, fluoride, arsenic, etc. which have ill effects on human health. Simultaneously, it has disadvantages also, as while purifying the dissolved toxins, it also removes natural minerals like iron, calcium, magnesium, boron, sodium, etc. which are very essential for healthy bones and other functions of human body. This causes mineral deficiency. The concentration of Total Dissolved Solids should be 300-400 mg/l. While purifying the water, a lot of water is also being wasted....(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप पूरा जवाब मत पढ़िए। आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह बताइए।

SHRI G. S. BASAVARAJ : I would like to know from the hon. Minister whether the Government is thinking of issuing a notification.

माननीय अध्यक्ष : पानी में क्या-क्या मिलता है, वह तो सबको पता है। आप अपना प्रश्न पूछिए।

SHRI G. S. BASAVARAJ : Wherever RO purifier is permitted, it should be ensured that while purification, to control mineral deficiency, all the essential

minerals are retained and also water wastage should be controlled to an extent of 80 per cent.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR : This is a very important issue because we need safe drinking water. In many cities or villages there is no provision of potable water. The hon. Prime Minister has already declared an ambitious scheme, वर्ष 2024 तक हर घर को जल, नल से जल मिले और साफ-सुथरा पानी मिले, उन्होंने इसकी घोषणा ऑलरेडी की है। So, we are on the track. More importantly, the NGT has said that if TDS is less than 500 mg/l you cannot use RO purifier and if TDS is more than 500 mg/l you can use RO purifier.

The matter went to the Supreme Court, which has asked the Ministry to see the grievances of the manufacturers and issue an appropriate notification. We are in that process. We will listen to the stakeholders and others. But one thing is sure, that water should not be wasted and all the natural minerals must be protected. We will find out a solution accordingly.

SHRI G. S. BASAVARAJ : May I know from the hon. Minister what action has been taken by the Government as the Supreme Court has given a dictum stating that use of RO purifiers should be prohibited within three or four months from the date of the judgement.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR : After NGT judgement, there was an appeal in the Supreme Court. As I said, the Supreme Court has directed the Ministry to hear different stakeholders, come out with a solution, and issue appropriate notification. We will do that in time.

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस बात के लिए खेद प्रकट करना चाहता हूँ कि प्रश्न संख्या 262 के समय मैं अपने स्थान पर नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, कानून बनाना एन.जी.टी. या सुप्रीम कोर्ट का मैन्डेट नहीं है, कानून बनाने का काम इस सदन का है। लेकिन, अफसोस की बात यह है कि जब भी पर्यावरण की बात आती है तो यह देखा जाता है कि एन.जी.टी. का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। चाहे जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, इसके संबंध में जो कानून हैं, उसमें एयर एक्ट, 1981 है और वाटर एक्ट भी 1984-1985 का है। हमारा एनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी 80' के दशक का है।

हमारे पर्यावरण मंत्री जी से मेरी दरखास्त यह है कि आप इनके कानूनों में बदलाव लाने की कोशिश करें। हमारा जो एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, क्या आप इनमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? मैंने एयर एक्ट पर एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल भी डाला है। मैं चाहूंगा कि आप एयर एक्ट और वाटर एक्ट को और दुरुस्त करें, ताकि लोगों को पता चले कि सदन पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, न कि ज्युडिशियरी।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदय, मैं गौरव जी की भावना से एकदम सहमत हूँ कि the function of the Legislature is to legislate. Therefore, a periodical review of Air Act and all older acts need to be taken up.

मैं इतना ही बताऊंगा कि आपने जो इस विषय पर प्राइवेट मेम्बर्स बिल दिया है, उसका संज्ञान लेते हुए और बाकी मेम्बर्स भी जो सुझाव देंगे, हम उन पर जरूर विचार करेंगे। So, this is a suggestion which requires action.

प्रो. सौगत राय : महोदय, यहां मंत्री जी ने बताया है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को, जिससे पानी प्योर होता है, उसे नकार दिया क्योंकि इससे पानी बहुत नष्ट होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस में एक मेम्ब्रेन होता है। उसमें एक बार पानी जाता है और फिर

उलटा आता है और उससे डिजॉल्ड सॉलिड्स निकल जाते हैं। लेकिन, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस सबसे एफिकेशस है। अगर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस न हो तो पानी को शुद्ध करने का क्या विकल्प लोग अपनाएंगे? क्या वे अल्ट्रा-वॉयलेट फिल्टर्स यूज करेंगे, रेडिएशन प्रोसेस को यूज करेंगे? मिनिस्ट्री से लोगों के लिए क्या सजेरेंस हैं कि लोग उसे इस्तेमाल करें?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदय, आर.ओ. आने के पहले हम सब के घरों में भी यू.वी. सिस्टम लगे थे। बाजार में इस तरह के दो-तीन सिस्टम्स हैं। इसमें लोग अपना-अपना निर्णय लेते हैं। लेकिन, यहां मूल समस्या थी कि आर.ओ. में नैचुरल मिनरल्स मर जाते हैं और इसमें पानी बहुत बर्बाद होता है। मुझे अभी पता चला है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है, जिससे पानी का एक बूंद भी जाया नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा और उसमें नैचुरल मिनरल्स भी बचे रहेंगे। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन आता है तो उस पर भी विचार होगा। लेकिन, हम एन.जी.टी. का आदेश, वास्तविकता और लोगों की सेहत, तीनों को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया है कि जहां एक तरफ एन.जी.टी., पर्यावरण और इससे जुड़ी चीजों का खयाल रख रहा है, वहीं दूसरी तरफ काफी कठिनाइयां भी उत्पन्न हो रही हैं।

इस संबंध में, गोगोई जी ने जो कहा और हम सब की चिंता भी है कि एन.जी.टी. के बहुत से फैसलों के कारण ऐसे बहुत से कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं, जो देश के हित में हैं और विकास से जुड़े हुए हैं। सरकार के जो फैसले होते हैं, कैबिनेट के जो फैसले होते हैं, उन फैसलों पर भी ये एक तरह से प्रतिबंध या निषेध लगाने का काम कर रहे हैं।

महोदय, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के जो निषेध हैं या इस तरह के कार्यक्रमों पर जो प्रतिबंध हैं, उन कार्यक्रमों को फिर से प्रारंभ करने के लिए, जो जनहित में आवश्यक हैं, उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे?

दूसरी तरफ, वाटर की बात हो रही है। आपने व्यापक रूप से कहा कि हम वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं और हर घर तक जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन, हमारे बसवराज जी का मूल प्रश्न था कि हम जो वाटर प्यूरिफाई करते हैं और उसमें जो मिनरल्स हैं, जो पानी के तत्व हैं, वे उस प्यूरिफिकेशन में समाप्त हो जाते हैं तो पानी के उन तत्वों को कैसे बचाया जा सकता है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदय, मैंने यही बताया कि नैचुरल मिनरल्स, जो शरीर के लिए आवश्यक हैं, उनका रक्षण होना चाहिए, that is the first principle. देश भर में पानी की कमी है, इसलिए पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये दो मुद्दे हैं। इन्हीं दो मुद्दों को लेकर हम सभी से चर्चा करके एप्रोप्रिएट नोटिफिकेशन समय पर निकालेंगे, ताकि लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन न रहे।

श्री गोपाल शेटी : अध्यक्ष जी, वैसे तो मेरे इस सवाल को जगदम्बिका पाल जी ने पूछ लिया है, लेकिन उसका उत्तर नहीं आया है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यही है कि एन.जी.टी. का निर्माण एक अच्छे काम के लिए हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रोक लिए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे जितने भी निर्णय एन.जी.टी. ने लिए हैं, उनका समीकरण करके किसी उपाय या योजना के बारे में क्या सरकार के मन में कोई सोच-विचार है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदय, चाहे एन.जी.टी. हो या कोर्ट हो, अगर मंत्रालय जनता के हित और पर्यावरण की रक्षा को देखकर एक अच्छी भूमिका का प्रतिपादन ढंग से करता है तो बहुत सारे मसलों में पूरा न्याय मिलता है, नहीं तो उसमें अपील का भी प्रोविजन है। मेरा विश्वास है कि हम वही काम करेंगे, जिससे जनता का व्यापक हित और साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा हो। इसका अच्छा संयोग कहां बैठता है, वही हमारे ऐफिडेविट्स रहेंगे।

(Q.266)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI : Sir, Thalassemia and Haemophilia are very rare blood diseases. The hon. Minister knows it best being a doctor himself. I would like to know whether the Minister has planned any scheme to support the affected persons, especially poor and needy people.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, the hon. Member has asked what treatment is available for the patients of Thalassemia, Haemophilia and Sickle Cell Anaemia in the country. Right from the district hospital to the highest hospital, *i.e.*, All India Institute of Medical Sciences, treatment is available for all these three diseases. Thalassemia Sickle Cell Anaemia and Haemophilia through the National Health Mission, we support all the State Governments for all the drugs, all the blood transfusion facilities, etc. Even for the ultimate treatment where they need bone marrow transplant, etc. through Rashtriya Arogya Nidhi (RAN), the Health Minister's Discretionary Fund and also the Prime Minister's Relief Fund, help up to Rs.15 lakh is provided. There is a facility for helping them for blood transfusion also. There is a compulsory screening going on for all the pregnant women, population screening Counselling services are also being provided. So, at multiple levels, a lot of activities are going on. For all the three categories of these patients simultaneously research is also being undertaken by ICMR and other science Departments.

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI : Sir, generally these medicines are available at District Government Hospitals with the support of the Government of India. The Minister has also mentioned that.

Apart from that, All India Institute of Medical Sciences at Mangalagiri is centrally located to serve the affected patients in Andhra Pradesh. I would request the hon. Minister to state whether any steps have been taken to keep these medicines at AIIMS, Mangalagiri.

DR. HARSH VARDHAN: Right now the AIIMS at Mangalagiri is in a specific phase of development. Since you belong to that area, you must be aware that right now only OPD services have started there. Ultimately, it has to go up to the level of the All India Institute of Medical Sciences as is happening with all the other institutions. Presently, even the blood bank is not there. It is also in the process of development. All the facilities which are available at other AIIMS which have already got developed are going to be subsequently developed there also. Obviously, the drugs, blood transfusion facilities, and availability of safe free blood to the patients will all be developed there also.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, in extension to this Question, I would like to submit that already dengue has ravaged a large part of the State of West Bengal which has resulted in a number of deaths in the State. Also, it is creating a great fear amongst the common people that the bite of Tarantula also could be fatal for people. Dengue invasion has already assumed an alarming and an epidemic proportion in the State without having any distinct

knowledge about what is actually occurring there in the State. Do you have any idea about this?

DR. HARSH VARDHAN : I may not particularly be able to say what is happening in the State of West Bengal but as the hon. Member himself is saying that he also does not know as to what is happening there, but I would like to inform the august House that dengue is a very typical and fatal condition and it is caused by the bite of *Aedes* mosquito. This *Aedes* mosquito actually breeds in clean water. It is unlike other mosquitoes which breed in insanitary conditions.

As far as the treatment for dengue is concerned, Health is a State subject and all the State Governments have to make arrangements for the treatment of not only dengue but all the diseases. Through the National Health Mission, we give enough of money to every State Government based on what plans they make for the management of a particular disease for upgradation of a particular centre etc. If the Government of West Bengal wants anything over and above what they already have through the National Health Mission, they have to be pro-active.

Control of dengue actually requires a lot of public awareness. People have to be taught about what they have to do inside their homes. There is a lot of things to be done by the people inside their homes, rather than outside. So, there is a need for a huge public awareness campaign which has to be developed. Simultaneously, I may inform the House that in India we are at an

advanced stage of development of a vaccine for dengue. I think, in the coming years when we have a dengue vaccine, the incidence of dengue or those who get affected by dengue will get lowered.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Sir, there are pockets in Maharashtra, especially in the Vidarbha region, there are villages where extensive number of children have sickle cell anaemia. They have access to medication. But is there a national programme which we could include in our PHCs? The hon. Minister said that our PHCs are aware of it. Could we do a programme of preventive oncology awareness and sickle cell anaemia campaign and of these rare diseases where all our people working should be skilled and brought to the notice of people? It is because Vidarbha has pockets where people are affected by sickle cell anaemia which we have not been able to address over the years.

Added to this, the hon. Minister mentioned that a sum of Rs. 15 lakh is available for bone marrow transplant. Now, there is a hospital like Tata Memorial – which is not under the direct control of the Ministry of Health but is under DAE -- where there is a huge waiting list because monies are not available. Is there something that could be worked out by which this sum of Rs. 15 lakh comes we also have a national programme for these diseases, including preventive oncology?

DR. HARSH VARDHAN : As I have already said in my reply to this question, ultimately the health care delivery system is the responsibility of the State

Government. Through the National Health Mission, we support every State Government for everything that they need, specifically for other diseases and also for haemophilia, sickle cell anaemia etc. and for those places where these diseases are more common or more endemic. There are these awareness programmes. People responsible for manning those PHCs and the authorities at the district level have to be very particular about ensuring it. As far as Government of India is concerned, the State Governments also have to support such patients but, as I said, the Government of India provides up to Rs. 15 lakhs to all the patients to get the necessary treatment available. This facility is for the people living below the poverty line also. Now that you have the Government in Maharashtra where your Party is also a part of it, you must take care of these areas in a specific way. I can assure, on behalf of the Government of India, that if you need any assistance in particular for upgradation of facilities there, we are ready to do it. I had informed this House earlier also that, as per the Public Health Standards of 2011, all of you can go to your respective Primary Health Centres, see that if there is anything which is lacking and which does not fulfil the guidelines of Public Health Standards and you may force your Collectors and State Governments to send us the proposals. Under the Programme Implementation Plan (PIP), if there is such a plan of any area, the respective MP would have to send it to us and we will ensure that we will upgrade it with that particular facility to reach the minimum level.

(Q.268)

श्री अनिल फिरोजिया : माननीय अध्यक्ष जी, मीडिया में रिपोर्टें आ रही हैं कि मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए पानीपत से पोरबंदर तक 1400 किलोमीटर जंगल की दीवार बनाने की योजना बनाई जा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ऐसी वन दीवार के लिए योजना बनाई है? ऐसे वन आवरण की कार्बन अवशोषण क्षमता क्या होगी?

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक और प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष: आप एक साथ दो प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अनिल फिरोजिया : मेरे अतारांकित प्रश्न के अनुसार यह पता चला है कि चंबल नदी में ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ प्रतिदिन 11 लाख लीटर उपचारित अपशिष्ट का उत्सर्जन कर रही है। क्या ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में एसएफडी ने बैंक गारंटी के साथ समयबद्ध कार्य योजना प्रस्तुत की है, अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्या प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार शून्य निर्वहन जनवरी, 2021 को या उससे पहले उद्योगों द्वारा शर्त प्राप्त की जाएगी? क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों के लिए कोई जुर्माना तय किया है? यदि वे प्रस्तावित कार्य योजना का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : माननीय अध्यक्ष जी, दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। मैं बताना चाहता हूं, पोरबंदर से हरियाणा तक वन दीवार की बात कही गई है, इसके लिए प्रपोजल तैयार हो रहा है। यह अभी तैयार नहीं हुआ है।

एक अच्छी खबर है कि देश में पिछले पांच सालों में जंगल में और बाहर भी ट्री कवर 13,000 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। यह अच्छी खबर है। दुनिया में केवल दो-तीन देशों में ही ग्रीन कवर बढ़ा है। इसमें भारत का भी नंबर है, यह हम सबको अच्छा लगना चाहिए।

महोदय, विकास के लिए कभी-कभी पेड़ रिमूव करने पड़ते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करते हैं। अगर कहीं एक पेड़ रिमूव हुआ तो उसके एवज़ में दस पेड़ लगते हैं, बढ़ते हैं, हमने इसकी व्यवस्था की है। कैम्पा, कम्पेनसेटरी एफोरेस्टेशन में हम ऐसा करने जा रहे हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए इतने पेड़ रिमूव किए हैं, तो दूसरा स्थान होगा जहां कम्पेनसेटरी एफोरेस्टेशन होगा। इन दोनों की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में रहेगी और हर साल उस वैकल्पिक जंगल की कितनी बढ़ोतरी हो रही है, सब देख सकेंगे। दूसरा सवाल आपने ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा है। उसके लिए हम एक विशेष दल को वहां भेजकर स्थिति का जायजा लेंगे और आवश्यक निर्णय करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: यह क्वेश्चन तो आपका था। आप तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए। उज्जैन से पोरबन्दर तक पहुंच गए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, in regard to Mr. Gaurav Gogoi's Q. No 262, the Hon. Minister has submitted a detailed list.

माननीय अध्यक्ष: यदि आप प्रश्न 268 पूछना चाहते हैं तो पूछिए।

...(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, this is related to the answer to this Question.

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन 262 के बारे में मत पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : सर, वह क्वेश्चन नहीं है।

Sir, 102 cities have already been identified in 23 States and the National Conservation Programme is there. My specific question to the hon. Minister is whether any fund has been allocated under this programme in these 102 cities.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Every city has a specific pollution mix and pollution problem. The basic pollution causes are vehicular pollution, dust pollution, and construction-demolition waste. Simultaneously, there are waste management and biological fires as well as very importantly, industrial pollution.

So, we have asked all cities to draw their own city-specific plans. To prepare that plan, the Central Government has sanctioned Rs. 10 crore each to million-plus population cities, and likewise other amount for lesser number of cities. But 102 cities have been selected in this programme.

The hon. Member comes from Kerala. As he must be knowing, many cities are very good in Kerala and there is no issue of pollution. So, there, we will not giving any funds but at other places, we are giving it.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI : Sir, the hon. Minister has said that there is going to be a lot of tree plantation. We welcome it. But last week, in one of his answers, he had spoken about mangrove forest also. In Tamil Nadu, especially Ennore Creek area and Pulicat Wetlands, because of the port expansion activities, nearly 2,000 acres of land is being affected. The Ennore Creek is being taken over by the Port Authorities for expansion of the

port. But this puts nearly 10,00,000 people in the city of Chennai at the risk of flooding.

So, what is the Minister's reply to this question? Thank you.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, Shrimati Kanimozhi's question is very specific one, relating to Pulicat and Ennore. I will definitely give her answer, in detail, in a separate communication. But let me tell her that mangroves are also increasing, and at the same time, when we sanction removal of mangroves from one area for a very essential development, we also ask them to plant in the ratio of 1:3 times of mangroves. We are succeeding here. The total mangrove cover of India is increasing.

SHRI VINCENT H. PALA : Sir, I know that the hon. Minister has given a reply for plantation of trees; and the Government is spending an amount of almost R. 220 crore every year for plantation of trees. Like in my State Meghalaya, we have seen that during planation, they plant small trees. But these small trees would get spoiled by animals; and during the winter, when the people burn fire, these trees would get spoiled.

So, would the hon. Minister allow the State Government that instead of planting small tress, they may acquire the existing forest? Would he sanction money for that? Instead of planting small tress where there is no guarantee that these trees would survive, fresh forests may be an option.

So, will the hon. Minister allow this in his guideless?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Actually, you cannot plant a very big tree because it is already existing. So, you have to plant a small sapling, and from there, it grows. But now, there are various methods by which eight to ten feet well-grown trees also can be planted, and then they grow up in a natural way. Then it grows up in a natural way. So, that is the area, and the State Forest Departments have been given concrete suggestions how to maintain the plantation and how to have a survival rate of more than 80 per cent to 90 per cent. That we have already discussed even in the Forest Ministers Meeting which was held last week.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR : Thank you, Sir. Through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister to this. Is he aware that the life expectancy at birth of Indians is being shortened for each of us by 4.3 years at the moment due to environmental pollution including water, air, and everything together? So, what is the Government and the Ministry doing to mitigate the effect of the environment pollution so that we do not lose these four years that each of us breathing today loses? Thank you, Sir.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: We in the Government have discussed a lot on pollution not only of Delhi but all over the country. I have explained how the Government is very proactively taking actions to mitigate the vehicular pollution, industrial pollution, the biomass pollution, and also the dust pollution. It is because these are the main four areas where we need action. We are already taking action. It is bearing fruits. That is one thing.

At the same time, let me clarify that such studies carried out by various institutes may not be based on first generation data. On a secondary data, they interpolate, extrapolate, and then come out with conclusions based on a model study. So, let us not create a fear psychosis among people because pollution problem is all over the globe. In Los Angeles, in European cities, everywhere, there is pollution due to different factors. But there is no direct correlation as per the studies we have conducted. The studies conducted in India have not shown a direct correlation of shortening of life because of pollution.

HON. SPEAKER: Dr. D. Ravikumar – Not present.

Sushri S. Jothimani.

(Q. 269)

SUSHRI S. JOTHIMANI : Thank you, Sir. I would like to know, through you, from the hon. Minister whether the Government is considering to frame a policy on right to menstrual hygiene and paid leave for working women in Government and private sector during menstruation as they are going through a lot of physical and mental stress during these days.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would like to firstly thank the hon. Member in absentia who has asked this question. It is because in my six years of experience in Parliament, I have never had a question posed about menopause and that too by a male MP. So, my congratulations to him and thanks to him in absentia. ...*(Interruptions)*

Sir, since you have always guided us not to answer to those who heckle from their seats, I would only say this much that there is a menstrual hygiene protocol which has been dedicated to the country since 2015 which talks about menstrual hygiene management in urban and rural India.

Insofar as menstruation and paid leave during menstruation, I, as a woman and personally speaking, do not think menstruation is a handicap for me to work as a professional. This is a view many women have held across the country. Also, when the issue is debated across the world, this is a view that has come forth.

श्री बृजेन्द्र सिंह : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मेरा सवाल मेनोपॉज से संबंधित तो नहीं है, लेकिन महिला कर्मचारियों से संबंधित है। चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान केन्द्र सरकार में भी है, राज्य सरकारों में भी है, लेकिन जिस समय वह अवकाश मांगा जाता है और जिस अवधि के लिए अवकाश मांगा जाता है, आमतौर पर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, यह देखने में आया है कि वे उसमें टीका-टिप्पणी करते हैं और जिस समय और जितनी अवधि के लिए अवकाश मांगा जाता है, बहुत रेर होता है कि वह किसी कर्मचारी को मिलता हो। इस बारे में सरकार ने समय-समय पर गाइडलाइन्स भी इश्यू की हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उस अवकाश को मंजूर करने को कम्पलसरी करने के लिए विचार करेगी?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि सरकार न सिर्फ कानून बनाती है और गाइडलाइन्स प्रेषित करती है, बल्कि समय-समय पर प्रदेश की सरकारों के साथ और एन.सी.डब्ल्यू. जैसी संस्थाओं के माध्यम से इसके क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग और योगदान देती है।

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN : Hon. Speaker, Sir, I would like to have a little clarification from the Minister. As she herself has congratulated the move, we are also very happy to have a discussion, probably, regarding that in the House. But, of course, the anxiety of all the women concerned here is about what health impact it will have on women in general. Also, I would like to add a little point. Most of the women are not aware about the cervical cancer during the menopausal stage. So, can there be an additional initiative to have a drive to have a cervical cancer test, probably, amidst the womenfolk, which can be a follow-up of this policy?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Since the Member has asked questions pertaining to the health impact, I would like to highlight and put some data, with your permission, for the scrutiny of the House. Firstly, between the ages 48 and 49, the number of menopausal women is around 55.8 per cent and the impact of it is that it leads to cardiovascular diseases and it has an impact with regard to osteoporosis also. The Bone Health Clinic in Mumbai is currently undertaking a research study with regard to how to better the mental and physical health of women, including osteoporosis or help them deal with issues like anxiety which is one of the outcomes of menopause.

Insofar as the support being given by the Government for cervical cancer is concerned, let me enunciate here that Ayushman Bharat has made one of the impacts. Subject to correction and data from the hon. Health Minister, one of the best impacts I have seen as a woman, is close to 50 lakh women have screened themselves for breast cancer and over 30 lakh women have screened themselves for cervical cancer. I compliment the hon. Prime Minister and the hon. Health Minister because this is one of the silent revolutions of the Ayushman Bharat Scheme with regard to women's health.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 270, श्री विनोद लखमशी चावड़ा – उपस्थित नहीं ।

श्री रमेश विधूड़ी – उपस्थित नहीं ।

प्रश्न 271.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न सबके लिए महत्वपूर्ण है ।

श्री बी. महताब जी ।

(Q. 270)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I will ask a very short question and I expect a very short answer. The Minister has given a detailed reply relating to the National Mental Health Programme through which the Manpower Development Scheme is being implemented in this country. I have repeatedly asked this question earlier and I would expect the present Minister also to respond to it.

It is relating to nurses, both male and female nurses, who have to attend to the dementia patients and to those who are suffering from forgetfulness. We are lacking them in great number. What step is the Government taking to increase their number? It is because the dementia patients need constant care. What steps are being taken to improve the nursing facility in our country to attend to the dementia patients?

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I think in the answer also I have mentioned that the incidence of mental illness is a big issue in the country and all over the world. Of course, the patients of dementia are also causing a lot of concern for everybody. Right now, we have a very, very exhaustive scheme in which either the mental hospitals, which are numbering 41 in the country, or the psychiatric departments within the various medical colleges in the country, can be upgraded for which there is a scheme. They can be upgraded to Centres of Excellence for which the Government pays about Rs.33 crore for one Centre of Excellence. We have already given it to 25 mental hospitals in the country.

There is a scheme where we have given upto Rs.90 lakh for upgradation of one particular department in respect of manpower. It is not only about doctors but also about nurses dealing with psychiatrist illnesses and psychological social workers. It is thoroughly a comprehensive scheme which also includes the nurses, who take care of mentally sick patients and, of course, the dementia patients.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण आपकी चिंताओं को देखते हुए, इसी सत्र में इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा दी जाएगी।

(Q. 271)

श्री बी. बी. पाटील : सर, 18 नवम्बर, 2019 को बिल गेट्स और मंत्री महोदया ने भारत पोषण कृषि कोष लॉन्च किया है, इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहिए। उसी तरह से मंत्री महोदया ने 4 जुलाई, 2019 को राज्य सभा में बताया है कि वर्ष 2022 तक भारत कुपोषण मुक्त होगा। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस तरह की परियोजनाएं बनाई गई हैं?

इसी के साथ-साथ मैं यह जानना चाहता हूँ कि पांच सूत्रीय कार्रवाई कार्यक्रम क्या है? क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में विस्तार से बता सकती हैं और यह कुपोषण को खत्म करने में कैसे मदद करेगा? पांच बिन्दु कार्रवाई कार्यक्रम का पालन करके, वे कौन लोग होंगे, जिन्हें महिलाओं और बच्चों के बीच भूख से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : सर, महोदय ने आपके माध्यम से अलग-अलग प्रकार के प्रश्न एक ही प्रश्न में अवतरित करवाए हैं। मैं संक्षेप में इसका जवाब देने का प्रयास करूंगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न अच्छा है, इसका लाभ सभी को मिलेगा।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : सर, आपको विशेष आभार कि आपने पोषण अभियान के लिए नेतृत्व इस सदन में दिया और सभी को प्रेरित किया ताकि सभी माननीय सांसद इस विषय से जुड़ सकें। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि माननीय सांसदों के जुड़ाव की वजह से ही सितम्बर, 2019 में, आप सभी के नेतृत्व की वजह से एक ही माह में 3 करोड़, 66 लाख पोषण अभियान से संबंधित गतिविधियां देश भर में हुई हैं। उनमें से दो करोड़ से ज्यादा गतिविधियों में हमारे समुदायों ने अपनी भागीदारी दिखाई है। जहां तक पोषण कृषि कोष की बात है, तो वर्ष 2017 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने एक उद्बोधन में एम. एस. स्वामीनाथन जी की उपस्थिति में कहा है कि हमारे देश में भिन्न प्रकार की क्रॉप वेरायटीज ऐसी हैं, जो हमारी लोकल पॉपुलेशन को वर्षों से पौष्टिक आहार देती आई हैं। इनके आइडेंटिफिकेशन की

जरूरत है और साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र से जोड़ कर, कैसे हमारे किसान भाइयों और बहनों को प्रेरित किया जाए ताकि हम अपने लोकल उपजाऊ जमीन में ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यूज वाले क्रॉप्स को उगा सकें? हमारा प्रयास यह भी है कि फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के साथ मिल कर, एक बार सारा डेटा अवेलेबल हो जाए तो हम लोग उसे कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग लोकल एग्रो प्रोसेसिंग आपूर्ति, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध करा सकें। इन्होंने पूछा है कि अब तक कितने लोग ट्रेड हुए हैं, तो अब तक पोषण अभियान, जिसके लिए नौ हजार करोड़ रुपये का आबंटन विशेष रूप से किया गया है, नौ लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स इसमें ट्रेड हुए हैं। वर्तमान में साढ़े आठ करोड़ लोगों, माताओं और बच्चों का आईसीडीएस कैश सिस्टम पर रोज डेटा का मॉनिटरिंग होता है। हम लोग देश में माता-पिता, जिनके बच्चों का वेट स्टैटिक है या गिर रहा है अथवा फ्रंट लाइन वर्कर्स उनको हर महीने एसएमएस के माध्यम से जानकारी देते हैं। मेरे पास अक्टूबर माह का आंकड़ा है। About 1.47 crore such SMSs have been sent to parents and frontline workers across the country.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप पूरक प्रश्न पूछ लें। इस विषय पर भी आधे घंटे की चर्चा इसी सत्र में कराएंगे।

श्री बी. बी. पाटील : सर, जैसा कि बताया गया है कि 12 उच्च फोकस राज्यों का सेलेक्शन किया जाएगा। क्या राज्यों का सेलेक्शन किया गया है, अगर राज्यों का सेलेक्शन किया गया है तो क्या उसमें तेलंगाना राज्य शामिल है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : सर, सभी राज्यों में पोषण अभियान का काम चल रहा है। कोई भी राज्य और कोई भी जिला वंचित न रहे, यही भारत सरकार का ध्येय है।

(Q. 272)

श्री रामचरण बोहरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रश्न के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिलती रही है कि प्राथमिक विद्यालयों में जो भोजन दिया जाता है, उसमें गुणवत्ता नहीं रहती है। क्या इसमें केन्द्र सरकार लोकल स्तर पर इंटरवीन करके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन देने का काम करेगी?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने प्राथमिक विद्यालयों में भोजन देने की प्रक्रिया का जो उल्लेख किया, मिड-डे मील की स्कीम एचआरडी मंत्रालय से संबंधित है। भले ही वर्तमान में, मैं उस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि एचआरडी मंत्रालय भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर मिड-डे मील की क्वालिटी बरकरार रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

श्री रामचरण बोहरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश के आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की स्थिति बड़ी दयनीय है। अधिकतर महिलाएँ और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। क्या सरकार इस ओर ध्यान देकर उनकी स्थिति सुधारने के लिए कोई कार्यक्रम लाएगी?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहूँगी कि पोषण अभियान में हम लोग ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ, विशेषकर ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, न सिर्फ हमारे मंत्रालय की ओर से आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के पोषण का काम करते हैं, बल्कि हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भी उनको एनिमिया जैसी बीमारी की चुनौती का समाधान देने के लिए हम प्रयास करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नंबर 273, सुश्री प्रतिमा भौमिक - उपस्थित नहीं।

श्री सुनील कुमार सिंह - उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्री जी।

(Q. 274)

डॉ. ढालसिंह बिसेन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, हालाँकि तीनों उत्तर- क, ख, ग उन्होंने सही दिए हैं, लेकिन मेरी यह चिन्ता है कि जो दुर्घटनाएँ नेशनल हाइवेज पर होती हैं, जिनके कारण ट्रॉमा सेन्टर्स खोले गए हैं, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि तीन वर्षों के बाद भी मेरे जिले सिवनी के ट्रॉमा सेन्टर में डॉक्टर्स की कमी के कारण वह अभी तक संचालित नहीं हो पाया है। इसके कारण इसका लाभ दुर्घटनाग्रस्त लोगों को नहीं मिल रहा है। ट्रॉमा सेन्टर्स में विशेषकर ऑर्थो सर्जन, न्यूरो सर्जन और एनेस्थिसिया के डॉक्टर्स होते हैं।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने जवाब में कहा है कि एनएचएम के अंतर्गत दिए राज्य और केन्द्र मिलकर डॉक्टर्स की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन आज तक उन्होंने पूर्ति नहीं की है, क्योंकि धन की कमी है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या वे राज्य सरकार को इसके लिए तत्काल निर्देशित करेंगे ताकि एनएचएम के अंतर्गत सभी ट्रॉमा सेन्टर्स पर डॉक्टर्स की पूर्ति की जा सके?

डॉ. हर्ष वर्धन : सर, जहाँ तक भारत सरकार का पक्ष है, भारत सरकार ट्रॉमा सेन्टर्स एस्टैब्लिश करने के लिए सभी राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता देती है। जब वे उसको टाइम-बाउंड तरीके से स्थापित करते हैं, तो उसके (स्कीम के) हिसाब से उनको बराबर पैसे दिए जाते हैं। मैं पावर की कमी के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अभी उन स्थानों पर, अगर कोई राज्य सरकार यह कहती है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमने पहले दिन ही इस हाउस को बताया है, 'you quote and we pay' के प्रिंसिपल को भी हमने उनके लिए अलाऊ किया हुआ है। आप डॉक्टर्स को जो तनखाह देते हैं, यदि उस तनखाह में डॉक्टर्स

नहीं मिल रहे हैं, तो 'you quote and we pay' के प्रिंसिपल को अपनाकर आप डॉक्टर्स की भर्ती कर सकते हैं।

आप जानते हैं कि हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करना है। हम पॉलिसी को उनके साथ शेयर करते हैं, उनके साथ मिलकर सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ में पॉलिसी बनाते हैं, कंसेंसस करके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार पूरी सहायता करती है। जैसे-जैसे वे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उनके इम्प्लीमेंटेशन के प्लान्स को देखकर एकोर्डिंगली उनकी मदद करते हैं।

माननीय सदस्य ने जैसा कहा है, उनकी जो चिन्ता है, उसके संदर्भ में मैं स्टेट गवर्नमेंट को जरूर अवगत कराऊंगा कि एक माननीय सदस्य ने आपकी स्टेट के संबंध में पार्लियामेंट में बात रेज की है, आप इसके ऊपर और ज्यादा गहराई और गंभीरता से ध्यान दें।

डॉ. ढालसिंह बिसेन : अध्यक्ष जी, चूंकि अन्य सारे पद एनएचएम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं और केवल मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा आर्थो और न्यूरोसर्जन के पदों को स्वीकृत नहीं किया है। इस कारण हमारे सारे सेंटर्स अभी भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार से चर्चा करके इन सेंटर्स में डाक्टर्स की उपलब्धि एनएचएम के अंतर्गत कराई जाए क्योंकि वे रेग्युलर डाक्टर्स की भर्ती अपनी स्टेट से नहीं कर रहे हैं। आप पुनः एनएचएम के अंतर्गत उन्हें अनुमति दें, ताकि डाक्टर्स की भर्ती हो कर अस्पताल शुरू हो जाएं और जनता को सुविधा हो जाए।

माननीय अध्यक्ष : राज्य सरकार को निर्देश दे दूंगा।

डॉ. हर्ष वर्धन : मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके अनुरोध पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को आपकी बात पहुंचा दूंगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 275, श्री संजय काका पाटील – उपस्थित नहीं ।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील ।

12.00 hrs**(Q. 275)**

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। हम हमेशा शादियों या समारोहों में जाते हैं और देखते हैं कि जो फूल बगीचे या खेती बाड़ी में उगाए जाते हैं, उन फूलों का उन समारोह में उपयोग नहीं होता है। अब प्लास्टिक के बड़े-बड़े फूल आ रहे हैं, जिनका उपयोग एक, दो या तीन साल के लिए भी हो सकता है। जब उन फूलों का उपयोग खत्म हो जाता है, तो उन्हें फेंक दिया जाता है, जो डीग्रेडेबल नहीं हैं। भारत में जो फूल पैदा होते हैं, उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा उन फूलों का इस्तेमाल करें और ये प्लास्टिक के फूल इस्तेमाल न करें, इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। यदि हम प्लास्टिक के फूलों पर पाबंदी लगाते हैं और चाइना से इम्पोर्ट होने वाले फूलों पर ड्यूटी लगाते हैं, तो वहां से फूल आने बंद होंगे। इस वजह से जो हमारे काश्तकार ग्रीन हाउस बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा उगाए गए फूलों के ग्राहक नहीं हैं, इसलिए हो सके तो अवेयरनेस भी बढ़ानी चाहिए। बच्चों को भी बताना चाहिए कि प्लास्टिक के फूल यूज मत करो। आप दो फूलों की बजाय किसी को एक फूल ही दो, लेकिन वह फूल उगाया गया हो, काश्तकारों द्वारा बिका हुआ फूल होना चाहिए। काश्तकारों के फूलों की बिक्री हो, उन्हें दो-चार पैसे मिलें, हमें ऐसी पालिसी बनानी चाहिए। इससे वातावरण भी अच्छा रहेगा, सुगंधित भी रहेगा और डीग्रेडेबल चीजें हैं, जैसे हार वगैरह हैं जो गणपति महोत्सव में यूज होते हैं, इन पर रोक लगेगी।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष जी, यह बहुत अच्छा सुझाव है और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कही say no to single use plastic की बात कही है। Say no to single use plastic, प्रधान मंत्री जी ने यह मुहिम घोषित की है। हमने गाइडलाइन्स इश्यू की हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करके नेचुरल मैटीरियल यूज किया जाए।

In our country, plastic is not the problem, uncollected plastic waste is the problem. Therefore, we are dealing on all forefronts and your suggestion is well taken.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर माननीय सदस्यों के स्थगन-प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन-प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to lay on the

Table of the House:

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1124/17/19]

2. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Research Association, Thane, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool Research Association, Thane, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1125/17/19]

3. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1126/17/19]

4. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1127/17/19]

- 5 (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Industry Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool Industry Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1128/17/19]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (DR. HARSH VARDHAN): Sir, I beg to lay on the Table of the House:

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Agharkar Research Institute, Pune, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Agharkar Research Institute, Pune, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1129/17/19]

2. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Nano and Soft Matter Sciences, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Nano and Soft Matter Sciences, Bengaluru, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1130/17/19]

3. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1131/17/19]

- 4. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1132/17/19]

- 5. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian National Academy of Engineering, Gurugram, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian National Academy of Engineering, Gurugram, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1133/17/19]

- 6. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Raman Research Institute, Bengaluru, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Raman Research Institute, Bengaluru, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1134/17/19]

- 7. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Geomagnetism, Navi Mumbai, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1135/17/19]

- 8. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1136/17/19]

- 9. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Ocean Technology, Chennai, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Ocean Technology, Chennai, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1137/17/19]

- 10. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the ESSO-Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the ESSO-Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1138/17/19]

- 11. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the ESSO-National Centre for Polar and Ocean Research, Vasco-Da-Gama, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the ESSO-National Centre for Polar and Ocean Research, Vasco-Da-Gama, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1139/17/19]

- 12. (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the ESSO-National Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram, for the year 2018-2019, together with Audit Report thereon.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the ESSO-National Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1140/17/19]

13. A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited, Bulandshahr, for the year 2018-2019.
- (ii) Annual Report of the Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Limited, Bulandshahr, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 1141/17/19]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) महानिदेशक (आकाशवाणी) और महानिदेशक (दूरदर्शन) भर्ती विनियम, 2019 जो 2 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एन-10/001(6)/2015-पीआरबी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 1142/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table of the House:

1. A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2018-2019, alongwith Audited Accounts.
2. A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Naturopathy, Pune, for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 1143/17/19]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) निम्नलिखित केंद्रों के संबंध में वर्ष 2018-2019 के लिए निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे :-

(एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान), बंगलौर।

[Placed in Library, See No. LT 1144/17/19]

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़।

[Placed in Library, See No. LT 1145/17/19]

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (आर्थिक विकास संस्थान), दिल्ली।

[Placed in Library, See No. LT 1146/17/19]

(2) (एक) भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1147/17/19]

(3) (एक) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1148/17/19]

(4) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1149/17/19]

(5) (एक) राष्ट्रीय तपेदिक और श्वास रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय तपेदिक और श्वास रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1150/17/19]

(6) (एक) नई दिल्ली तपेदिक केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली तपेदिक केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1151/17/19]

(7) (एक) उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1152/17/19]

(8) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 1153/17/19]

- (9) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) चौथा संशोधन विनियम, 2019 जो 30 अक्टूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एसटीडीएस/एसपी (वाटर एंड बेवरेजेज)/अधिसूचना(5)एफएसएसआई-2018 में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (अतिरिक्त खाद्य की प्राप्ति और वितरण) विनियम, 2019 जो 30 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईजी/11/27/सरप्लस फूड/एफएसएसआई-2017 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 1154/17/19]

- (10) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2019 जो 17 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 499(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) चिकित्सा उपकरण (पांचवां संशोधन) नियम, 2019 जो 16 अक्टूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 787(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) चिकित्सा उपकरण (चौथा संशोधन) नियम, 2019 जो 13 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 652(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ओषधि और प्रसाधन सामग्री (आठवां संशोधन) नियम, 2019 जो 19 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 223(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 1155/17/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (2019 का संख्यांक 15) (रक्षा सेवाएं) – आयुध निमार्णी के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 1156/17/19]

12.04 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th December, 2019, agreed without any amendment to the National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th November, 2019.”

12.04 ½ hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

1st to 3rd Reports

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2019-20):-

(1) 1st Report on 'Revision of ceilings for Exception Reporting in Appropriation Accounts'.

(2) 2nd Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their 95th Report (16th Lok Sabha) on 'Health and Family Welfare'.

(3) 3rd Report on Action taken by the Government on the Observations /Recommendations of the Committee contained in their 103rd Report (16th Lok Sabha) on 'Assessment of Entities Engaged in Health & Allied Sector'.

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

1st and 2nd Reports

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL (MIRZAPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy (2019-20) :-

- (i) 1st Report on Demands for Grants relating to the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2019-20.
 - (ii) 2nd Report on Demands for Grants relating to the Ministry of Power for the year 2019-20.
-

12.05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL

3rd to 5th Reports

SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR (CHANDRAPUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal and Steel :-

- (i) Third Report on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Coal.
 - (ii) Fourth Report on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Mines.
 - (iii) Fifth Report on 'Demands for Grants (2019-20)' pertaining to the Ministry of Steel.
-

12.06 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I rise to announce that the Government Business for the remaining part of the Winter Session, 2019 will consist of :

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains (i) consideration and passing of the International Financial Services Centres Authority Bill, 2019; and (ii) Consideration and passing of the Arms (Amendment) Bill, 2019.]
2. Consideration and passing of the following Bills, after their introduction:-
 - (i) The Anti Maritime Piracy Bill, 2019.
 - (ii) The Personal Data Protection Bill; 2019.
 - (iii) The Citizenship (Amendment) Bill, 2019.
 - (iv) The Code on Social Security Bill, 2019.
 - (v) The Central Sanskrit University Bill, 2019.
 - (vi) The Maintenance & Welfare of Parents & Senior Citizens (Amendment) Bill, 2019.
 - (vii) The Constitution (One Twenty-Sixth Amendment) Bill, 2019.

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): The following items may be included for discussion in the next week's agenda :-

- (i) Need to resume the construction of medical college in Siddiqpur area of Jaunpur city, Uttar Pradesh.
- (ii) 17 सी क्रॉसिंग बेलापार से 18 बी क्रॉसिंग में जाने के लिए रोड-रेलवे लाइन के दोनों ओर अभी तक नहीं बन पाई है। जब तक रोड का पूरा निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक रेलवे क्रॉसिंग 17 सी पर एक गार्ड लगाकर उसे खुलवाने की आवश्यकता है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The following items may be included for discussion in the next week's agenda :-

- (i) The Government must conceptualise a detailed Pamba action plan on the lines of Namami Gange to tackle pollution in the said river.
- (ii) Need to declare a Munroe Island ecological and environment protection plan.

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The following items may be included for discussion in the next week's agenda :-

- (i) Need to enhance funds under MPLADS to Rs. 50 crore per Member per year.
- (ii) Need to address the growing cases of chronic kidney disease in Palakkad, Kerala.

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): The following items may be included for discussion in the next week's agenda :-

- (i) To announce various schemes for upliftment of poor Handloom weavers community.
- (ii) Need to announce various welfare schemes for fishermen across the country.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित करने की कृपा करें:-

1. ठाणे-नवीमुम्बई-मुम्बई को जोड़ने वाले जलमार्ग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
2. लोकमान्य तिलक (कुर्ला टर्मिनस) स्टेशन, मुम्बई को सुविधा सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं:

1. रामगंज मंडी, भोपाल निर्माणाधीन रेलवे लाइन की शीघ्र पूर्णता के संबंध में।
2. आयुष्मान भारत योजना में मध्य प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं:

1. 17वीं लोक सभा के काफी सांसदों की सांसद विकास निधि की प्रथम किस्त का भुगतान जिलों में नहीं पहुंचने के बारे में।
2. भारतीय संचार निगम लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने पर लगी हुई अघोषित रोक के बारे में।

अध्यक्ष महोदय: श्री हिबी इडन – उपस्थित नहीं।

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Thank you, Hon. Speaker, Sir I would request you to include the following business in the next week's List of Business:

1. Need to extend the time period for obtaining Fast Tag to 31st March, 2020;
2. Need to provide houses to all section of people in Greater Chennai area under the Housing for All Scheme.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं:

1. ओरछा, कुण्डेश्वर, जटाशंकर, मऊसहानिया व खजुराहो को धार्मिक व पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
 2. बरेली छतरपुर में स्थित एन.टी.पी.सी. पॉवर प्लांट को शीघ्र प्रारंभ किया जाए।
-

12.07 hrs

MOTION RE: ELEVENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“ कि यह सभा 05 दिसंबर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“ कि सभा 05 दिसंबर, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: श्री ए.राजा जी ।

राजा जी का दूसरा विषय है ।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, a tragic incident happened in the early hours of Monday, the 2nd December 2019 at Nadoor Village near Mettupalayam Municipality in my constituency. A compound wall constructed by a private individual had collapsed, instantly killing 17 Scheduled Castes people, including children. The fact remains that the villagers had on several occasions complained to the district administration and the State Government with regard to the danger posed by the compound wall. The incident led to scores of people, including relatives of the deceased and the members of the pro-Dalit organisations like Tamil Tigers and other political parties protest against the district administration and pressing for reasonable demand to accommodate them inside the Mettupalayam Government Hospital Campus.

The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes also took cognizance of the issue. Police resorted to manhandling of protestors and arrested around 25 persons under various penal sections of the IPC. I urge the Central Government to intervene in the matter and direct the State Government to withdraw the cases against the protestors and release them, and also ensure that strict penal action is taken against the person who had constructed the wall. Moreover, compensation to the families of the victims should be enhanced, houses should be rebuilt immediately, and also the State Government should provide employment to each family of the victims.

12.14 hrs

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Brutal atrocities against women folk across the country

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I would like to flag the attention of the entire House towards this issue. In spite of volcanic and seething anger coupled with indignation, hate against.... *(Interruptions)*

Sir, in spite of volcanic and seething anger coupled with indignation and hate against the gangrape incidents which have been occurring at regular intervals across the nation, there is no respite of this kind of brutal and bestial crime. सर, हम यहां बहुत सारे कानूनों की बात करते हैं, मृत्युदंड की घोषणा करते हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी लगता है कि क्या हम पैसे के बुद्धिमान और पाउंड के मूर्ख हैं? कोई कमी नहीं दिखाई देती। सर, हैदराबाद की घटना हुई, उसके बाद बंगाल में माल्दा, फिर उन्नाव का मामला आ गया। हम लोग कहाँ जाएं, हिन्दुस्तान के लोग कहाँ जाएं? सबसे बड़ी बात है कि उन्नाव में चार दिन पहले आरोपी को रिहा किया गया। आरोपी ने पीड़िता को मारने के लिए आग लगा दी। महिला भागती हुई, दौड़ती हुई किसी के पास शरण लेनी गई। उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुई, अभी दिल्ली आई। उसकी 95 परसेंट बॉडी जल गई। यह क्या हो रहा है? आज की तारीख 6 दिसम्बर को बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी और वहां मंदिर बन रहा है। एक तरफ हिन्दुस्तान में राम जी का मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ सीता को जलाया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अम्बेडकर साहेब को भी याद कर लो। आज बाबा साहेब की पुण्य तिथि भी है। अधीर रंजन जी, बाबा साहेब की पुण्य तिथि है, उनको भी याद कर लो।...*(व्यवधान)*

श्री अधीर रंजन चौधरी : बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। एक तरफ राम जी का मंदिर बन रहा है, गौर से सुनो, एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ सीता मैया को जलाया जा रहा है।...(व्यवधान) यह हिन्दुस्तान की असलियत है। यह मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी ताकत आरोपी कैसे जुटा पाते हैं, जिसकी सीबीआई जांच-पड़ताल कर रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और जिसके साथ सिक्योरिटी पर्सोनेल तैनात हैं, उनको कभी गाड़ी के टकराव से मारने की कोशिश की जाती है।...(व्यवधान) कभी जला कर मारने की कोशिश की जाती है। हम कहां जा रहे हैं? वहां के आरोपी को कैसे छूट दी गई, यह हम सब को देखना पड़ेगा।...(व्यवधान) आरोपी ने यदि जेल से छूट मिलने के बाद चार दिन के अंदर यह घटना की तो हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हम सब को शर्मिन्दा करती है। उत्तर प्रदेश कहता है कि हम उत्तम प्रदेश बने, किन्तु दिन पर दिन उत्तर प्रदेश अधम प्रदेश बनने की कगार पर पहुंच गया है।...(व्यवधान) इसलिए सरकार को कोई जवाब तो देना चाहिए।

देखिए, हैदराबाद में आरोपियों को गोलियों से उड़ा दिया, जिन्होंने भागने की कोशिश की, उनको हैदराबाद पुलिस ने गोलियों से उड़ा दिया।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो अपराधी है, उनको छूट दे दी। उनको जमानत पर छूट दे दी। उसके चलते उनको मौका मिला।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती मीनाक्षी लेखी।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि उन्नाव की घटना को लेकर एसआईटी बनाई गई है।...(व्यवधान) यहां पर यह सेंगर वाला पहला केस नहीं है। यह दूसरा केस है, लेकिन हैदराबाद में जो हुआ, एक महिला होने के नाते, एक वकील होने के नाते मुझे लगता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन किया गया है।...(व्यवधान) 'जैसी करनी, वैसी भरनी'। अगर कोई गलत काम करेगा और उसके बाद पुलिस की हथकड़ी छोड़कर

भागने की कोशिश करेगा तो पुलिस को वैपन दिए गए हैं, जो बंदूकें दी गई हैं, वे सजाने के लिए नहीं दी हैं।... (व्यवधान) उनको उसका इस्तेमाल करना है तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। कानूनी रूप के तहत उसकी एफआईआर दर्ज होगी, एनएचआरसी को जाएगा और उसके ऊपर इन्क्वायरी होगी।... (व्यवधान)

12.19 hrs

(At this stage, Shri Gaurav Gogoi and some other hon. Members left the House.)

वह सब अपने तरीके से काम चलता रहेगा। लेकिन देश को जो सबसे बड़ी घटना निर्भया ने झकझोरा था, उसमें चार साल के अंदर ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले की सुनवाई की गई और चार साल में मामला खत्म किया गया।... (व्यवधान) मुझे दुःख होता है, यह कहकर कि मैं दिल्ली में रहती हूं और निर्भया केस में हमने बहुत काम किया। इस सदन में कानून भी बदला, लेकिन उसके बावजूद तीन साल तक दिल्ली सरकार उस मामले पर बैठी रहती है।... (व्यवधान) उस फाइल की नोटिंग्स को पब्लिक में पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं, जो अवसरवादी राजनीति करते हैं। हैदराबाद में इंसीडेंट हो गया, देश भर की महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस करें, उस वक्त इस फाइल पर साइन किया जाए। मुझे लगता है कि देश के अंदर एक अभद्र माहौल भी बनाने की कोशिश है। यह 130 करोड़ का देश है और 130 करोड़ के देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत रहेगा, कुछ गंदे लोग होंगे, लेकिन 90 से ऊपर 99 प्रतिशत लोग भले हैं। उन 99 प्रतिशत लोगों को चरित्रहीन बताना और पूरे देश में ऐसा माहौल खड़ा करना भी गलत है। अगर आप आंकड़े देखें तो भारत के आंकड़े 5 से 7 परसेंट हैं। स्कैन्डिनेवियन देशों के आंकड़े 55 प्रतिशत हैं, अमेरिका के अंदर आंकड़े 36 प्रतिशत हैं, यू.के. का आंकड़ा 35 प्रतिशत है, लेकिन वहाँ पर ये घटनाएं प्रथम पेज पर नहीं लिखी जातीं, कहीं छिपा दी जाती हैं। भारत के लिए पूरी दुनिया में बताया जाता है कि यहाँ महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल है। असुरक्षा के

खिलाफ यह सदन सहमत है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी रूप से शीघ्र निपटान होना चाहिए। पुरुषों की मानसिकता बदलने का विचार होना चाहिए, सब काम ठीक होने चाहिए, लेकिन इश्यूज को सैन्सेशनलाइज नहीं करके सेन्सिटिव हैंडलिंग होनी चाहिए। बहुत-बहुत आभार। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता, श्री दुष्यंत सिंह और श्री राजेन्द्र अग्रवाल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): महोदय, मैं इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक सेकेंड रुकिए। आपका भी विषय है, मैं आपको बोलने का मौका दूँगा। आप बैठिए। जब मैंने कह दिया कि मैं आपको मौका दूँगा तो आपको जरूर मौका दूँगा। पहले मैं यूपी के माननीय सदस्यों को मौका दे दूँ और फिर माननीय मंत्री जी बोलेंगी।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज जिस तरीके से बलात्कार, रेप की घटनाएं देश भर में हो रही हैं और कहीं न कहीं एक दिन मैंने जीरो ऑवर में भी यह सवाल उठाया था कि इस देश में पुलिस के रिफॉर्म्स की जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो जाती है कि जब दोषी कोर्ट में जमानत लेने जाता है, तो पुलिस कहीं न कहीं चुप रह जाती है और वह उसकी जमानत का विरोध उस तरीके से नहीं करती है। जिस तरीके से उन्नाव के अंदर हुआ कि एक रेप विक्टिम को सरेआम जिंदा जलाया गया, तो कहीं न कहीं वहाँ की सरकार और पुलिस की विल में कमी है। हम यह चाहते हैं कि जो रेपिस्ट हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जूडिशियल प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। उनको जूडिशियल प्रोसेस के तहत फाँसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए और उनके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए।

کنور دانش علی (امروہ): جناب، آپ نے مجھے موقع دیا، اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج جس طریقے سے عصمت دری کے واقعات، ملک بھر میں ہو رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک دن میں نے زیرو آور میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس ملک میں پولس کے ریفارمس کی ضرورت ہے۔ آخر ایسی کونسی وجہ ہو جاتی ہے کہ جب دوشی کورٹ میں ضمانت لینے جاتا ہے، تو پولس کہیں نہ کہیں چُپ رہ جاتی ہے اور وہ اس کی ضمانت کی مخالفت اس طریقے سے نہیں کرتی ہے جس طریقے سے اُنّاؤ کے اندر ہوا کہ ایک عصمت دری کی کی شکار کو سر عام ذندہ جلا یا گیا تو کہیں نہ کہیں وہاں کی سرکار اور پولس کی ول میں کمی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ریپسٹ ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہئیے۔ عدالتی کام جلد سے جل پورا ہونا چاہئیے۔ ان کو جیوڈیشیل پروسیس کے تحت پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانا چاہئیے اور ان کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں برتنی چاہئیے۔

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): सर, धन्यवाद। सर, एक पुरुष होने के नाते मैं हमेशा महिलाओं की इज्जत करता आया हूँ और करता रहूँगा। हर बार अच्छा लगता है जब ऐसे मुद्दों पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर पूरा हाउस इकट्ठा होकर खड़ा होता है और एक ही आवाज में बोलता है कि ऐसे लोगों को, जो औरतों पर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, रेप करते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुख इस बात का होता है कि जब ऐसे संवेदनशील इश्यूज को लेकर हम सदन में कम्युनल चीजों को भी जोड़ने लग जाते हैं। यह बड़े दुख की बात है, क्योंकि कोई औरत, कोई बहन, एक इंसान है, उन पर क्या बीतती है, उनका परिवार किस ट्रॉमा से गुजरता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसको बहुत पॉलिटिसाइज किया जाता है। हम चाहे यहाँ कितना भी क्यों न बोलें कि इसको पॉलिटिकली न लिया जाए और पॉलिटिसाइज न किया जाए, लेकिन सदन के अंदर भी किया जा रहा है और सदन के बाहर भी ऐसा किया जा रहा है। मैं इसकी कड़ी निन्दा करता हूँ। आप कोई रूलिंग दीजिए। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए, जो देश को तकलीफ पहुँचाए।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, उन्नाव में जो घटना हुई है, मैंने उस पर एडजर्नमेंट मोशन दिया था। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि कितने दिन तक हिन्दुस्तान में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती रहेंगी और इस सदन में हम उसकी चर्चा करते रहेंगे।...(व्यवधान) मुझे अपने को शर्मिन्दा लगता है कि हिन्दुस्तान की संसद में यह चर्चा होती है।...(व्यवधान) जब महिलाओं पर अत्याचार की घटना अखबार के फर्स्ट पेज में आ जाती है, तो पॉलिटिकल लोग होते हुए उसको हमें उठाना पड़ता है। इसके साथ-साथ हमें यह बताना पड़ता है कि जहां घटनाएं होती हैं, वहां राज्य पुलिस और प्रशासन की कमी रह गई।...(व्यवधान)

इसके पहले भी उन्नाव में घटना घटी थी, आप जानते हैं। फिर वहीं उन्नाव में एक महिला को, जो रेप विक्टिम है, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। उसे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया और वह सफ़रदरजंग अस्पताल में बचने के लिए लड़ाई कर रही है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि रेप ...* को जल्दी ही मृत्यु दण्ड देने की आवश्यकता है और यह हाउस में बोला गया कि रेपिस्ट को, सॉरी, रेपिस्ट को मृत्यु दण्ड देने की जरूरत है। अभी भी हाउस में इसकी चर्चा हुई कि निर्भया कांड में जो लोग शामिल थे, उन्हें अभी भी फाँसी नहीं हुई। इसे घटित हुए सात साल बीत गए। हमने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रबन्ध किया था। यह 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' है।

आज हैदराबाद में जो एक्यूज्ड थे, उन्हें गोली से उड़ा दिया गया है। यह बोला गया कि एनकाउंटर हुआ। मैं देखता हूँ कि फेसबुक पर बहुत लोगों ने प्रशंसा की। मैं तो एनकाउंटर डेथ का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन आज लोगों के मन में यह भाव है। लोग कहते हैं कि रेपिस्ट्स को लिनच करके मार देना चाहिए, नहीं तो एनकाउंटर करके मार देना चाहिए। अगर हमें देश में कानून के शासन की प्रतिष्ठा करनी है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम रेपिस्ट्स को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द दिला सकें। मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस संसद में आप मंत्री को बुला कर कानून को और कड़ा करें और उसके एक्सपीडियस ट्रायल और डिस्पोजल का इंतजाम करें।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को प्रो. सौगत राय के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किन शब्दों में मैं कहूँ? वेदना है, तिरस्कार है, गुस्सा है। हमारी माँ, हमारी बहन आज खुले आम जलाई जा रही हैं। हम सब वेदन सहित यहां वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन मेरी आँखों में आँसू आते हैं कि अपराधियों में कितनी हिम्मत है

* Not recorded.

और कानून के बारे में डर नहीं है। कल क्या हुआ? तेलंगाना की पुलिस ने क्या किया? उन्होंने सही किया या बुरा किया, लेकिन दुनिया उन्हें बहुत आशीर्वाद दे रही है।

महोदय, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूंगा कि यहां हम चर्चा करते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और यह ज्युडिशियरी के माध्यम से होना चाहिए। अगर हम ज्युडिशियरी के माध्यम से जाएं तो निर्भया घटना को घटित हुए सात वर्ष हो गए हैं।

महोदय, मैं आपसे एक अलग प्रार्थना करता हूं कि आप इसके बारे में पार्लियामेंट की महिलाओं और अन्य माननीय सदस्यों की एक कमेटी गठित करें कि ऐसे मामले में हम कड़ी कार्रवाई, कम से कम समय में कैसे कर सकते हैं। इस मामले को नीचे के किसी कोर्ट में नहीं जाना है। अगर वह मामला नीचे की कोर्ट में जाएगा तो फिर उससे ऊपर की कोर्ट में जाएगा और फिर उससे ऊपर की कोर्ट में जाएगा और आखिर में वह राष्ट्रपति जी के पास जाता है। इन सबको रोकना है, ऐसा कानून बनना चाहिए। अगर वह केस सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसे सजा देगा तो उसी को एक महीने के अन्दर इम्प्लीमेंट कर देने की व्यवस्था करें। हम सब इससे सहमत हैं।

माननीय अध्यक्ष: राजीव रंजन सिंह जी, अगर सब को एक ही बात कहनी है तो यह विषय सदन में आ गया।

श्री अरविंद सावंत : महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी निगरानी में कमेटी बने और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर एक कानून लेकर आए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं और रात की जो घटना थी, उसकी निरर्थकता करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले एवं श्री सुधीर गुप्ता को श्री अरविंद सावंत के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद में या उन्नाव में, इस तरह की जो भी घटनाएं हुईं, उनकी जितनी निन्दा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, वह कम है। लेकिन, समाज है और समाज में विकृत मानसिकता के कुछ लोग रहते हैं। सारे कानून बनने के बाद भी विकृत मानसिकता वाले जो लोग हैं, उन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें नियंत्रित करने का तरीका यही है कि सख्त से सख्त सजा हो और एक्सपीडियस ट्रायल के माध्यम से हो, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि अगर हम एक जघन्य अपराध करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी सजा पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह के मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। जब ये मामले संवेदनशील होते हैं तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे मामलों पर विचार करना चाहिए। हम समझते हैं कि हैदराबाद की घटना पर जिस दिन आपने चर्चा की अनुमति दी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि सदन इस पर विचार करे। आज एक्सपिडिसियस ट्रायल के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि एक निर्धारित समय सीमा के अंदर उनके मुकदमे की प्रक्रिया पूरी हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता को श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुप्रिया जी, आप एक मिनट में अपनी बात पूरा कर लीजिए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष जी, हैदराबाद की चर्चा खत्म नहीं हुई और उन्नाव का मामला सामने आ गया। सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि उन्नाव में जो भी हुआ, वह बहुत घृणित, अमानवीय, असंवेदनशील है और मैं उसकी घोर निन्दा करती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से दोषी बेल पर बाहर आने के बाद इतना बड़ा दुस्साहस करते हैं कि एक लड़की को गांव के बाहर घसीट कर उसको जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं, उसी जली हुई हालत में वह लड़की भागती है, दौड़ती है और मदद के लिए गुहार लगाती है। आज उसको एयर लिफ्ट करके

सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया है। पता नहीं वह बचेगी या नहीं बचेगी। हम सब तो कामना ही कर सकते हैं कि वह बच जाए।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यह बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, यह बात तेलंगाना की नहीं है, बल्कि यह बात पूरे देश की है। पूरे देश के अंदर कोने-कोने में जहां बलात्कारी बैठे हुए हैं, उनके मन में सिस्टम का कोई खौफ नहीं है। कहीं न कहीं हम सारे लोग तथा पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। निर्भया केस में डेथ सेन्टेन्स अवार्ड होता है, लेकिन वह एक्जिक्यूट नहीं होता है। जब तक किसी न किसी को फांसी के फंदे पर लटका कर हम नज़ीर पेश नहीं करेंगे, तब तक हम सिस्टम का खौफ पैदा नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि इस पर एक नेशनल लेवल डायलॉग हो। सेन्ट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, पोलिटिकल पार्टिज के स्तर से ऊपर उठकर देश की आधी आबादी को सुरक्षित करने की दृष्टि से हम एक साथ आएं और उसके लिए एक कदम उठाएं। इसके लिए समयबद्ध, त्वरित न्याय के साथ एक कठोर संदेश पूरे देश में दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : अध्यक्ष महोदय, अभी अधीर रंजन जी चले गए हैं, मैं उनके सामने अपनी बात रखना चाहता था। 27 अप्रैल को अलवर में एक घटना हुई। वह रेप केस था। वहां 29 मई को चुनाव था। उसके बाद जब वोटिंग हो गई, तो उसको प्रदेश की गवर्नमेंट ने उजागर किया। राजस्थान गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र टोंक के उनियारा में अभी तीन दिन पहले छह साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसको मार दिया गया। उसके बाद उस घटना का कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कम से कम इस घटना का जिक्र तो किया है, बात तो आई है। जहां भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां जिक्र ही नहीं होता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आगे कुछ कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अपनी बात का जिक्र ही नहीं करते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री दुष्यंत सिंह तथा श्री सुधीर गुप्ता को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती स्मृति ईरानी जी, क्या आप बोलना चाहती हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने उन्हें मना कर दिया। उनका माइक बंद हो गया।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): This is not a political issue....(*Interruptions*) The hon. Member wants to politicise it.

माननीय अध्यक्ष: यहां पर कोई राजनीति नहीं होने देंगे।

...(व्यवधान)

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): अध्यक्ष महोदय, आज कांग्रेस के एक नेता अभी अपने सीट से कह रहे हैं कि this is not a political issue. मुझे लगा, आपको तब होना चाहिए, जब अधीर रंजन जी इस विषय पर जान-बूझकर बोल रहे थे। जैसे बीजेडी के एक सांसद ने कहा कि महिला सम्मान, महिला सुरक्षा के विषय को कम्युनल सब्जेक्ट से जोड़ना राजनीति करने का इससे बड़ा दुस्साहस महिला के नाम पर इस सदन ने शायद ही कभी देखा होगा। आज बंगाल के एक सांसद यहां बोल रहे थे। मैं उनका नाम नहीं ले रही हूं। वह मंदिर का नाम ले रहे थे। एक सांसद ने हैदराबाद और उन्नाव की जघन्य घटनाओं पर अपना वक्तव्य यहां प्रस्तुत किया, लेकिन मालदा में क्या हुआ, उस पर चुप्पी साध ली।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : वहां क्या हुआ है? ...(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: अगर पता नहीं है तो जाकर पश्चिम बंगाल का अखबार पढ़िए ।

प्रो. सौगत राय : हमको पता है । ...(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: जिन लोगों ने रेप को पोलिटिकल वेपन की तरह पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किया ।...(व्यवधान) आज वे यहां पर भाषण दे रहे हैं ।...(व्यवधान)

महोदय, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं ।...(व्यवधान) लेकिन इस सदन के एक सदस्य के नाते कुछ बोलना चाहती हूं और आशावादी हूं कि गौरव गोगोई जैसे पुरुष बैठकर थोड़ा सुन ले, क्योंकि मैं बिना किसी का नाम लिए बोल रही हूं ।...(व्यवधान) क्या यह सत्य है कि इस सदन ने कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान बनाया, सजा-ए-मौत को इंगित करवाया ।...(व्यवधान) यह सत्य है ।...(व्यवधान) क्या यह सत्य है कि इस सदन ने और दूसरे सदन ने ...(व्यवधान) Stop shouting at me. ...(Interruptions) Stop shouting at me for my ability to profess my views. ...(Interruptions) Allow me to finish what I want to say as a Member. The very fact that you shout here today means that you do not want a woman to stand up and talk about issues that she feels passionate about. Take your seats. ...(Interruptions) You were quiet when rape was used as a political weapon during the West Bengal Panchayat elections. ...(Interruptions) You were quiet. ...(Interruptions) I would like to say here today. ...(Interruptions) क्या उन्नाव में जो हुआ, वह जघन्य अपराध है, है ।...(व्यवधान) क्या हैदराबाद में जो हुआ, वह जघन्य अपराध है, है ।...(व्यवधान) क्या एक लड़की का बलात्कार करके उसको जलाना अमानवीय है? ...(व्यवधान) क्या उन्हें सजा ए मौत होनी चाहिए? ...(व्यवधान) बिल्कुल होनी चाहिए ।...(व्यवधान) लेकिन ऐसे अपराधों पर राजनीति करने से क्या किसी भी विक्टिम को कोई सहायता मिलेगी? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त ।

...(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदय, मैं दो-तीन बातें आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी । मुझे कहने दें ।...(व्यवधान) 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए इस सरकार के माध्यम से प्रत्येक राज्य को राशि दी गई, ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो महिला या बच्चे प्रताड़ित हैं, उनको न्याय मिले ।...(व्यवधान) इस सरकार के माध्यम से प्रत्येक ...(व्यवधान) महिला संरक्षण के लिए, वूमेन हेल्प डेस्क के लिए पैसा दिया गया ।...(व्यवधान) महोदय, मेरा आग्रह है कि 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, हर पुलिस स्टेशन में ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रोड़मल नागर जी, आप बोलिए ।

...(व्यवधान)

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ मध्य प्रदेश मुख्यतः कृषि पर आधारित क्षेत्र है और यहां खेती-किसानी ही जीवनयापन का मुख्य आधार है ।...(व्यवधान) देश में पहली बार अन्नदाता किसानों की वास्तविक परिस्थितियों को समझकर मोदी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है ।...(व्यवधान) इस क्रम में प्रधान मंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि के वितरण का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, किंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनके हित से वंचित करते हुए अनावश्यक रूप से लटकाया और भटकाया जा रहा है ।...(व्यवधान) कभी खातों को अपडेट करने या किसानों के वैरिफिकेशन की सूची को अपडेट करने के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है ।...(व्यवधान) विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के अधिकांश किसानों को किसान सम्मान निधि की किश्तें नहीं मिली हैं ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि विभागीय अधिकारी व मध्य प्रदेश सरकार राजनीतिक कारणों से किसानों का अहित नहीं करे। मेरा यही अनुरोध है, धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता को श्री रोड़मल नागर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान उत्तराखंड प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की नकल एवं जन्म मृत्यु प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने में हो रही परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण जनता परेशान है।...(व्यवधान) पंचायती राज की नई व्यवस्था से पूर्व गांवों में ग्राम प्रधानों द्वारा अपने ग्राम सभाओं की जनता को परिवार रजिस्टर की नकल एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दिए जाते थे, जिससे बड़ी सरलता और सुगमता होती थी। ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली लागू होने में कठिनाइयाँ आई हैं। इसके कारण ग्रामीण जनता को इसे लेने के लिए विकास खण्डों में आना पड़ रहा है। विकास खण्ड स्तर पर परिवार रजिस्टर की नकल आवेदकों को सरलता से प्राप्त नहीं हो रही है।

महोदय, दूर दराज गांवों से लोग 15-20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद विकास खण्ड में जाते हैं और संबंधित कर्मचारी नैटवर्क नहीं होने का हवाला देकर ग्रामीण लोगों को वापस भेज देते हैं। इसके कारण उनका समय के साथ आर्थिक नुकसान भी होता है और संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त नहीं होते हैं। इसका कोई आश्वासन संबंधित अधिकारी द्वारा नहीं दिया जाता है। इस कारण छोटे से दस्तावेज के लिए जनता को बहुत अधिक परेशानी होती है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह एवं सुझाव है कि ग्रामीण लोगों को ई-डिस्ट्रिक्ट प्रणाली से ग्राम सभा स्तर पर ग्राम सभा में सारे दस्तावेज प्राप्त कराए जाएं।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ... * भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, के बड़े स्कैम की तरफ देश और पार्लियामेंट का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

महोदय, जब माननीय वाजपेयी जी की सरकार थी, वर्ष 2003 में सरकार ने तय किया था कि हम लोगों को एस बैंड के लिए कंपनी बनानी चाहिए और एन्ट्रिक्स को इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। वर्ष 2003 में एक आदमी के साथ उसकी बातचीत स्टार्ट हुई। हमारी सरकार चली गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी सरकार के जाने के बाद 28 जनवरी, 2005 को एन्ट्रिक्स और देवास नाम की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ...(व्यवधान) देवास कंपनी 17 दिसम्बर, 2004 को बनी। ...(व्यवधान) उसके साथ 60,000 करोड़ का एग्रीमेंट भारत सरकार ने साइन किया। ...(व्यवधान)

महोदय, दूसरा सवाल है कि जिन कंपनियों से पैसा आया, मॉरिशस की कंपनी ...(व्यवधान) कंपनी 2006 में बनी, 2009 में बनी, 2010 में बनी।...(व्यवधान) और ... * जी ने एफआईपीबी का क्लियरेंस दिया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री संतोष पाण्डेय जी।

...(व्यवधान)

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र राजनांदगाँव में स्थानीय व्यापारी, मजदूर, दैनिक वेतनभोगी, कर्मचारी, स्कूल, कॉलेज के छात्रों की बात कहना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : इस क्लियरेंस को गलत तरीके से दिया गया। जिस कंपनी को दिया गया, गलत तरीके से दिया गया।...(व्यवधान) भारत सरकार को 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान

* Not recorded.

हुआ है। इस कारण ...* के तत्कालीन प्रधान मंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री के ऊपर सीबीआई केस किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री दुष्यंत सिंह को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुरेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Mr. Nishikant Dubey is unnecessarily putting allegation on the ... * Party. He is doing it without any notice. He is doing it because elections in Jharkhand are going to be there. He wants to gain political advantage ...(*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से आज एक माननीय मंत्री द्वारा अपना पक्ष रखते समय कुछ सांसद जिस तरह से पेश आये हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। इनको आपके पास आकर माफी मांगनी चाहिए।...(व्यवधान)

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य चाहे वे इधर से हों या उधर से हों, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो, माननीय मंत्री जी बोल रहे हों तो क्या वेल में आकर आपस में विवाद करना चाहिए, क्या यह सदन के लिए उचित है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह गलत है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): जीरो ऑवर में वैसे तो कहते हैं कि सरकार का जवाब नहीं आ रहा है। जब मंत्री महोदया जी सरकार की तरफ से पक्ष रख रही थीं कि कितना-कितना पैसा राज्यों को दिया और काम नहीं हो रहा है, उसको आपने नहीं सुना और अभद्र व्यवहार किया, यह कैसे उचित हो सकता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, उनको बोलने दीजिए। हम आपको भी मौका देंगे।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय, जब हमने अपनी बात रखी तो हमारी यह अपेक्षा थी कि जो कन्सर्ड मंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, क्योंकि लॉ एंड आर्डर की बात उठाई गई है, वे होंगे। ... (व्यवधान) लेकिन, सबसे पहले एडजर्नमेंट मोशन देने के बाद भी कन्सर्ड मंत्री नहीं थे। ... (व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदया ने, इस संदर्भ में जो घटना हुई है, उसके डिटेल्स में न जाकर राजनीतिक टिप्पणी की शुरुआत उन्होंने की।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, आप विराजें, मुझे पूरी बात सुनने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते थे कि सरकार बताएगी कि उन चार लोगों को कैसे रिहा किया गया, सरकार यह बताएगी कि महिलाओं की वहां की लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने क्यों मदद नहीं की, ये सब बातें नहीं आईं, सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी और आक्रामक भाषण आया। आक्रामक भाषण, राजनीतिक टिप्पणी और मुद्दे से परे होने के विरोध में हम खड़े हुए हैं। हम वेल में नहीं आए, हमने अपनी सीट पर खड़े होकर इसका विरोध किया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य शांत रहिए। माननीय सदस्य आपने कहा कि राजनीतिक टिप्पणी की गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यहां पर राजनीतिक टिप्पणी करने के बाद किसी माननीय सदस्य द्वारा वेल में आकर किसी को धमकाना उचित है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। मैं जब बोल रहा हूं तो सारा सदन क्यों बोल रहा है। एक आचार संहिता बननी चाहिए। इस ओर से राजनीतिक टिप्पणी की गई है, उसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी आप भी करते हैं। बहुत गंभीर एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। इसके लिए अगर इधर के माननीय सदस्य वेल में आएंगे तो जो शब्द आज मैं यहां से सदन में बोल रहा हूं, मेरा यह दूसरा सत्र है, पांच साल इसी तरीके से इस सदन की आचार संहिता बनाना चाहता हूं। कितनी भी गंभीर टिप्पणी की गई हो, गंभीर टिप्पणी का जवाब गंभीर टिप्पणी से कीजिए। यदि वह असंसदीय होगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको रिकॉर्ड में नहीं जाने दूं। यदि रिकॉर्ड में नहीं होने के बाद भी अखबार वाले छापेंगे तो उसकी भी आचार संहिता बनाएंगे। यह सदन इसी तरीके

से चलना चाहिए। लेकिन, राजनीतिक टिप्पणी के बाद वेल में आकर आपस में विवाद करें, यह हम इस सत्र में नहीं करेंगे। होता होगा, पहले कभी हुआ होगा, लेकिन मेरे कार्यकाल में मैं आपसे सहयोग चाहता हूँ, आपकी सहमति चाहता हूँ कि हम इस सदन को इस गरिमा से चलाएं कि इसको देश और पूरा विश्व देखे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, मैंने मंत्री जी की बात बोल दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट नहीं, आप मुझे आदेश मत दीजिए कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, ठीक है। बैठे-बैठे आदेश मत दीजिए कि इनको बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए। बैठकर आदेशित करने की व्यवस्था को बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं नाम निकालकर आपको सदन से बाहर निकालने के लिए कहूंगा। ऐसे नहीं चलने वाला है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण आज एग्रीकल्चर विषय पर चर्चा होनी है और मैं चाहूंगा कि डेढ़ बजे तक भोजन अवकाश करने के बाद हम वापस जुटेंगे और एग्रीकल्चर पर पहले अधीर रंजन जी बोलेंगे, उसके बाद रिप्लाय होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: देखिए माननीय सदस्य, एक बात यह भी सुन लो। आप माफी मुझसे मंगवा लिया करें, लेकिन रोज गलत बोलकर माफी मांगने की परम्परा नहीं होनी चाहिए। गलत ही मत बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आपकी बात मैंने कह दी है।

...(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष जी, अगर आप मुझे बोलने की अनुमति दें,

प्लीज...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब सदन की कार्यवाही एक बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.50 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Thirty
Minutes past Thirteen of the Clock.*

13.33 hrs

*The Lok Sabha reassembled at Thirty-Three
Minutes past Thirteen of the Clock.*

(Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सभापति महोदया, जब स्मृति ईरानी जी बोल रही थीं, उस समय श्री टी.एन. प्रथापन और एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने दुर्व्यवहार किया है, जो निंदात्मक है। This is most condemnable. महिला संसद सदस्य के सामने थ्रेटनिंग पोजीशन में आना, यह बिल्कुल गलत है। She was talking as a lady Member of this House, and at that time, everybody had expressed their opinions. मेरा एक्सप्रेसन करने का स्टाइल अलग है और अधीर रंजन जी का अलग है। But if you become aggressive, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। It is most uncalled for. मैं अधीर रंजन जी से आग्रह करता हूँ कि उन दोनों माननीय सदस्यों को बुलाइए और माफी मंगवाइए। They should ask for the apology unconditionally. ...*(Interruptions)*

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The fact is that at that time, I was not inside the House. मैं किसी काम से बाहर गया था। जहां तक स्मृति ईरानी जी का सवाल है, तो Smriti Irani Ji is very fond of all of us. उनके प्रति हम सभी का रिगार्ड है। वह डिगनिफाइड लेडी हैं। वह बड़े काम्पिटेंट मिनिस्टर हैं। आज से नहीं, बल्कि बहुत दिनों से उन्होंने कई पद संभाले हैं। मुझे इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है। जिनके बारे में कहा गया है, मैं उनसे बातचीत करके मामले को देखूंगा। अभी मैं इस विषय में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। ... (व्यवधान) मुझे कोई जानकारी नहीं है। ... (व्यवधान) मैं जो कह रहा हूँ, वह बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं उस वक्त नहीं था। ... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): उनको बुलाना पड़ेगा।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं पता करके बताता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : संगीता जी, आप क्या कह रही हैं?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): आप उनको बुलाइए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं बात करती हूँ।

... (व्यवधान)

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): This is the temple of democracy and it is a black day for parliamentary democracy if the lady Minister is being threatened by an Opposition MP in the Lok Sabha on the floor of the House. It is not necessary; everybody has their way of expressing themselves. She did not say anything derogatory; she did not say anything inflammatory. But it is unacceptable, we are witness to it. If a Member of Parliament talking about protecting women outside the House is ready to perpetrate a crime and ... (*Interruptions*). No, this is not right. ... (*Interruptions*). He pulled up his sleeves and he came forward. We are all witness to this. ... (*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ji, I have a suggestion.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप सभी बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We will re-constitute at around 2.30 PM. You go and have a brief. You talk to those people and then we will re-constitute at 2.30 PM.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Please listen to me, Madam. As we know, our hon. Speaker is the ultimate arbiter. ...(Interruptions). I am leaving the entire episode ...(Interruptions)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : You can see the video. आप वीडियो देख लीजिए, फिर बात करें ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Adhir Ji, you have explained yourself. We are not holding anything against you. I am giving you time for one hour.

सभा की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.38 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Thirty
Minutes past Fourteen of the Clock.*

14.32 hrs

*The Lok Sabha reassembled at Thirty-Two Minutes
past Fourteen of the Clock.*

(Shrimati Meenakashi Lekhi in the Chair)

HON. CHAIRPERSON: The Minister of Parliamentary Affairs.

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** Madam, as it has already
been raised when you were chairing, before we could re-assemble, we had
made a specific request, through you, that their behaviour was highly
condemnable; and they should apologise. I feel that deliberately, they have
not reached the House. All the Members especially, lady Members of this
House are very much agitated.

I appeal to you that either they should be summoned and they should
be directed to tender their apology, or else, they should be suspended from the
House. This is my firm demand.

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा): माननीय सभापति महोदया, आज सुबह से इस हाउस में बहुत
गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। जब हम यहाँ पर इकट्ठे होकर महिलाओं की रक्षा के बारे में बात
कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनको कैसे सम्मान दें, उसकी बात
कर रहे हैं, इस समय मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। I respect all the political
parties here. So, I just want to say that a few of our fellow Members created
disturbances. I cannot exactly say; आपके पास सीसीटीवी कैमरा है, उसका फुटेज
होगा, and have all rights to check.

यहाँ पर जो डिसटर्बेंस क्रिएट हुआ, हाउस के अंदर जिस तरह का हम अपना व्यवहार दिखा रहे हैं, वह भी महिला सांसदों के प्रति, यहाँ आज जिस विषय पर चर्चा हो रही थी, मुझे लगता है कि उस पर हर महिला सांसद को बोलने का हक है। कोई एक या दो महिला सांसद ही क्यों, हर महिला सांसद को बोलने का हक है।

जैसा कि अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि specially, women Members of Parliament are agitated. No, Mr. Minister, Sir. Even men, the male Members of Parliament are also agitated. We do not expect such kind of behaviour from real men. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप रिकार्ड्स चेक करें और रिकार्ड्स के अनुसार आपको जो भी दिखे, you have every right to take action; and we all support you, Madam. Thank you so much.

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बर्धमान-दुर्गापुर): सभापति जी, सदन में कुछ और विषय पर निंदा का मामला चल रहा था। हम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कैसे करेंगे, हम अपनी राखी की कीमत कैसे अदा करें, जब, जो महिला हमें राखी बांधती हो, हम उसकी रक्षा न कर सकते हों? जब एक महिला अपने अधिकारों की मांग करते हुए अपना रोष इस सदन में जाहिर कर रही है, तो उस पर हाथ और बांह चढ़ाकर मारने की धमकी देने वाले लोगों को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। अभी जब वे उपस्थित नहीं हैं तो उनके दल के जो नेता हैं, उनको करबद्ध सदन से माफी मांगनी चाहिए। ... (व्यवधान) पहले वह माफी मांगें, फिर उनके दल के जो सदस्य हैं, वे माफी मांगें ... (व्यवधान) अन्यथा ऐसे सदस्यों को ... (व्यवधान) सदन में उनके दल के नेता कह रहे हैं कि वे नहीं हैं। हम उनकी बात मान लेते हैं क्योंकि आज शुक्रवार है और वे चले गए होंगे। अगर वे चल गए हैं तो उनको सोमवार को माफी मांगनी होगी। अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो व्यवस्था का सवाल है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी अभद्रता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अन्यथा हम चाहे कितने कानून बदल लें, चाहे रूल बुक में कितना भी परिवर्तन कर लें, किन्तु हमारी माताओं-बहनों की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो यह बर्दाश्त से बाहर है।

श्री विष्णु दत्त शर्मा (खजुराहो): सभापति महोदय, यह घटना दूसरी बार उन्हीं सदस्यों के द्वारा हो रही है, जिन्होंने मार्शल के साथ भी हाथापाई करने का प्रयास इस सदन में किया था। इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की व्यवस्था यह सदन दे। अगर लगातार इस प्रकार से महिलाओं पर आक्रमण करेंगे और एक गुंडई जैसा बर्ताव सदन में करेंगे, जिसको पूरा देश देख रहा है। आज यह सब जो वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यह बहुत निंदनीय है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सदन को करनी चाहिए।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): सभापति महोदय, हमारी भारतीय संस्कृति में जिस गांव में, जिस घर में महिला का सम्मान नहीं होता है और यह तो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और इस लोकतंत्र के मंदिर में हम देश और समाज के लिए कानून बनाते हैं कि हम कैसे अपने समाज और

देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने ऐसी घृणित घटना की है, उनको इस सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए। पिछली बार भी उन्होंने मार्शल के साथ इसी तरह का व्यवहार किया था। मेरा आपसे अनुरोध है और मैं समझता हूँ कि हम सब सदन में बैठकर जब महिलाओं की चिंता करते हैं तो इस सब में भी हम सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी को महिलाओं के सम्मान के प्रति उनको बाध्य करना चाहिए कि वे सदन में आकर माफी मांगें और पुनः ऐसी हरकत न हो।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): सभापति महोदया, आज इस सदन में जो घटनाक्रम हुआ है, एक तरफ तो सब लोग इस बात की चिंता कर रहे थे कि लोग जमानत पर छूटकर महिला को जला रहे हैं। दूसरी तरफ जो सदन पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखता है, जो पूरे देश के लिए नियम-कानून बनाता है, उस सदन के अंदर जब हमारी एक सम्मानित मंत्री खड़ी होकर स्टेटमेंट दे रही है, उस समय जो परिस्थितियाँ यहां हुईं, उसके बावजूद भी जब बार-बार उनको कहा जा रहा था और उनको पकड़कर पीछे ले जाना पड़ा। बाजू चढ़ाकर और आगे आकर जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, हमारी संस्कृति में “यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवताः” की बात हो रही है। यहां पूजा की बात तो दूर रही, यहां सरेआम अपमानित करने की बात है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घिनौनी हरकतें यदि इसी सदन में होंगी तो हम दुनिया और देश के लोगों को क्या मेसेज देंगे? मैं समझता हूँ कि इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। एक अनुशासत्मक कार्रवाई हो जिससे सब मेम्बर्स में एक मेसेज जाए और देश में मेसेज जाए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना न कर पाए।

श्री गुमान सिंह दामोर (रतलाम): सभापति महोदया, हम मां-बहनों की पूजा करते हैं। नवरात्रि में हम हमारी बेटियों-बच्चियों को देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। आज माहौल यह है कि हमारी देवियां देश में सुरक्षित नहीं हैं। देश में सुरक्षित नहीं हैं और हम जब सदन में चर्चा कर रहे हैं तो सदन में भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारी सदस्या और मंत्री जी के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार

होता है तो हम पूरे देश और दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? महोदया, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण में जो भी संबंधित सदस्य हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदया, आज सदन में जिस तरह की घटना घटी है, कुछ सदस्यों की बार-बार यह करने की प्रवृत्ति है। पिछली बार भी मार्शल के साथ में हाथापाई करने की नौबत आई थी, तब उनकी पार्टी या दल के नेताओं ने उनको नहीं समझाया होगा, जिसके कारण आज एक बार फिर जहां हम एक महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अगर उस वक्त कोई व्यक्ति महिलाओं को अपमानित करने का व्यवहार करता है, तो उनके दल के नेता को यह सोचना चाहिए और उनको यहां पर अच्छी सीख देनी चाहिए कि यह सदन है, यह लोकशाही का मंदिर है, यहां पर बिहेव करने की एक मर्यादा होती है। आप हर बार एग्रेसिव होकर किसी भी सदस्य के खिलाफ नारेबाजी करें, तब तक वह आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन जब एक महिला बोल रही है, तब इस तरह का काम करना, यह बिल्कुल अभद्रतापूर्ण है। इनको ही माफी मांगनी चाहिए, उन सदस्यों को माफी मांगनी चाहिए। उनके दल के नेता ने कैसे आज उनको बिना माफी मांगे जाने दिया। शायद यह उनकी संस्कृति और संस्कार है कि उन्होंने इस तरह के सदस्यों को जाने दिया, उनको भगा दिया। इस तरह की संस्कृति और संस्कार उनके दल की होगी। आज यह बहुत गलत हुआ है।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) : माननीय सभापति महोदया, यहां पर देश की महिलाओं की समस्या के ऊपर माननीय मंत्री जी जवाब दे रही थीं। उस समय इस प्रकार का कृत्य करना, आज पूरा देश देख रहा था, जिन महिलाओं की रक्षा के लिए यहां कानून बनते हैं, उन्हीं की रक्षा के लिए भक्षक बनकर यहां पर कांग्रेस के सम्मानित सदस्य आते हैं और इस प्रकार का कृत्य करते हैं। आज हमारी छोटी बहनें ऊपर से देख रही हैं कि यह वही सदन है, जो कानून बनाता है और यह

वही सदन है, जहां इस प्रकार से माताओं-बहनों की इज्जत पर बात आती है। मेरा यह कहना है कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट) : महोदया, मैं आज बहुत ही दुखी मन से कह रहा हूँ कि यहां पर जिस तरह का कृत्य हो रहा है, हम सदन के बाहर अपनी बेटियों और बहुओं को बचाने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब हम इस सदन में कृत्य देखते हैं कि हमारी महिला मंत्री जी, जो सम्माननीय हैं, सीनियर हैं, उनके साथ उन्होंने यहां पर जिस तरह का दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया है, अपनी बांह चढ़ाकर, वे अपनी पीछे की सीट छोड़कर सामने तक आ गए, तो वे क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या इस भरे सदन के अंदर वे हमारी महिला मंत्री से मारपीट करना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा उनका आचरण है। जब हम फार्म भरते हैं, तब हम यह देखते हैं कि क्या गुंडा या अपराधी प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति इस सदन के अंदर तो प्रवेश नहीं कर रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इनकी किस तरह की प्रकृति है या इनका क्या है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं होगा। उनकी पूरी जांच करके उनको इस सदन से निलंबित किया जाए, ताकि एक नज़ीर बन सके कि किसी भी सांसद को यह हक नहीं है कि वह सदन के अंदर किसी भी महिला को अपमानित करें। यदि वह सदन के अंदर अपमानित कर सकते हैं, तो पता नहीं, वे बाहर क्या करते होंगे। इसलिए, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इनकी बाहर भी पूरी जांच की जानी चाहिए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : माननीय सभापति महोदया, आज प्रत्येक आदमी दुखी मन से बोल रहा है। पूरे देश का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। हम लोग चिंतित हैं। हम लोग यह सोचते हैं कि जिस मजबूती से हम संसद में काम करने आए हैं और महिलाओं के विषय में ज्यादा सोच रखते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो भी सांसद यहां पर आए हैं, मैं यह समझती हूँ कि उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि कहां पर क्या बोला जाए और कैसे रहना चाहिए। इन लोगों की समझदारी में कमी है।

केवल माफी मांग लेना उचित नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी यह देश देखेगा कि ऐसे ही सांसद बाहर जाकर यह अनर्थ करते हैं, कुकर्म करते हैं। इन लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। यह सिर्फ मेरी सोच नहीं है। यह सोच पूरे पुरुष वर्ग से लेकर महिला वर्ग की है। पुरुषों को भी घरों में जवाब देना पड़ेगा। उनकी पत्नी पूछेगी, उनकी बेटी पूछेगी कि आप लोग सांसद बनकर गए हैं और आपने क्या देखा है कि एक महिला मंत्री के साथ जो हो रहा है, आप लोगों ने उसको क्यों दंडित नहीं किया है। तब वे जवाब देने में नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए, मैं यह चाहती हूँ कि जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, वह मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई दूसरा ऐसी गलती करके माफी न मांग ले। ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, वह भी उस दिन, जिस दिन हम उन्नाव या हैदराबाद की घटना की बात कर रहे हैं और पूरा देश चिंतित है। मैडम, मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाबी दूसरों की माँ-बेटियों को बचाने के लिए जाने जाते थे। आज हम अपनी माँ-बेटियों, अपनी माँ-बहनों के लिए जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, यह अति निंदनीय है। यह लोकतंत्र का मंदिर है। यहां कानून बनते हैं। अगर लॉ मेकर्स लॉ तोड़ेंगे तो फिर किससे उम्मीद की जा सकती है?

मैडम, मैं आखिर में राहत इंदौरी का शेर बोलूंगा कि –

“कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है।
आदमी को बुरी लत बिगाड़ देती है।
जुर्म करने वाले इतने बुरे नहीं होते हैं,
सजा न दे कर अदालत बिगाड़ देती है।”

अगर कांग्रेस ने उस दिन सजा दी होती, जिस दिन मार्शल जी के साथ ऐसा हुआ था, शायद आज वे यह हिम्मत न करते। ...(व्यवधान) मैं इस घटना की जोरदार शब्दों में निंदा करता हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : एक मिनट रुकिए । अधीर जी को सुन लें ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : बोलने दीजिए कम से कम । ...(व्यवधान) यह तो आप लोगों का प्लान के जरिए होता है । ...(व्यवधान) आपका क्या प्लान है, यह देखने से पता चलता है ।

माननीय सभापति: अधीर जी, आपको एक घंटे का मौका दिया था, वे लोग उपस्थित नहीं हुए हैं ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मेरी बात सुनिए ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: वे लोग उपस्थित नहीं हुए ।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: उनको हॉल में लाने का, सदन में लाने का एक घंटे का मौका दिया था ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह छोटी सी बात है । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: एक मिनट रुकिए ।

...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : बोलने तो दीजिए । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: एक मिनट, मुझे तो बोलने दीजिए न?

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.46 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, December 9, 2019/ Agrahayana 18, 1941 (Saka)*
